BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 1198 OF 2024

IN THE MATTER OF:

PEOPLES RIGHTS AND SOCIAL RESEARCH CENTRE

(PRASAR) & ORS. ...APPLICANTS

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS …RESPONDENTS

INDEX

S.NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT NO.5 I.E. STATE OF RAJSATHAN ALONG WITH AFFIDAVIT.	1-11
2.	**ANNEXURE A-1:** LETTER TO LABOUR DEPARTMENT FOR LEGAL SUPPORT TO PNEUMOCONIOSIS – AFFTECTED PERSONS	12
3.	**ANNEXURE A-2:** LETTER TO MINES, INDUSTRY & LABOUR DEPARTMENTS TO REGISTER SILICOSIS-PRONE ESTABLISHMENT & ENFORCE PREVENTION MEASURES.	13-19
4.	**ANNEXURE A-3:** A COPY OF THE ACTION TAKEN REPORT RELATED TO HEALTH MEASURES TAKEN BY THE GOVERNMENT.	20

6.	**ANNEXURE A-4:** COPY OF REPORT DEPICTING THE AWARNESS AND TRAINING PROGRAMMES ORGANISED BY THE STATE GOVERNMENT.	21-25
7.	**ANNEXURE A-5:** COPY OF EVALUATION REPORT OF BENEFITS PAYABLE UNDER RAJASTHAN SILICOSIS POLICY, 2019 FOR SOCIAL AUDIT PREPARED BY THE DEPARTMENT.	26-36
8.	**ANNEXURE A-6:** COPY OF THE TEMPLATE SHOWING RESPONSIBILITES OF THE RESPECTIVE DEPARTMENTS FOR IMPLEMENTATION OF THE POLICY BY THE DIRECTORATE OF ESPECIALLY ABLED PERSON.	37-38
9.	**ANNEXURE A-7:** COPY OF MINUTES OF THE MEETING OF THE STANDING COMMITTEE HELD ON 28 JANUARY, 2026 UNDER THE CHAIRMANSHIP OF THE CHIEF SECRETARY REVIEWING IMPLEMENTATION OF THE POLICY	39-42
10.	**ANNEXURE A-8:** COPY OF GUIDELINES REGARDING CONSTITUTION AND OPERATION OF THE “PNEUMOCONIOSIS FUND” UNDER THE DIRECTORATE OF ESPECIALLY ABLED	43-53

	PERSONS, DETAILING ITS FUNDING SOURCES AND SUPREVISION BY THE STEERING COMMITTEE CHAIRED BY THE CHIEF SECRETARY, RAJASTHAN.	

FILED BY: -

SHIV MANGAL SHARMA AND SAURABH RAJPAL
COUNSEL FOR THE RESPONDENT NO.5
D-291 2ND FLOOR DEFENCE COLONY NEW DELHI

NEW DELHI
DATE:21.05.2026

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 1198 OF 2024

IN THE MATTER OF:

PEOPLES RIGHTS AND SOCIAL RESEARCH CENTRE (PRASAR) & ORS. ...APPLICANTS

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS ...RESPONDENTS

REPORT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 5 – STATE OF RAJASTHAN

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That the present Reply is being filed on behalf of Respondent No. 5 (State of Rajasthan), in compliance with the order dated 10.10.2025 passed by this Hon'ble Tribunal in the above-captioned Original Application.

PRELIMINARY SUBMISSIONS

2. At the outset, it is respectfully submitted that the present Original Application pertains to the serious health hazard faced by mine workers on account of prolonged exposure to silica dust leading to silicosis, which is an incurable occupational lung disease, and is being dealt with pursuant to directions of the Hon'ble Supreme Court. The issue concerns enforcement of statutory safeguards under the Mines Act, 1952, the Mines Rules, 1955, the Metalliferous Mines Regulations, 1961, the Rajasthan Minor Mineral Concession Rules, 2017 and the Environment (Protection)

Act, 1986, so as to ensure preventive, protective and rehabilitative measures for mine workers.

3. It is submitted that the issue of silicosis in the State of Rajasthan has been under continuous judicial consideration. The matter initially arose before the Hon'ble High Court of Rajasthan in ***D.B. Civil Writ Petition (PIL) No. 9267/2015***, which was subsequently transferred to the Hon'ble Supreme Court and decided in ***People's Rights and Social Research Centre (PRASAR) & Ors. v. Union of India & Ors. [(2024) 8 SCC 99],*** wherein the Hon'ble Supreme Court, while recognizing the environmental and occupational dimensions of silicosis-prone industries, transferred the said cause to this Hon'ble Tribunal for monitoring the measures taken by the States and registered as Original Application No. 1198 of 2024
4. It is further submitted that the present Original Application No. 1198 of 2024 was thereafter clubbed with Original Application No. 504 of 2025, as both matters involve similar issues concerning the said disease (silicosis).
5. It is germane to mention that the Answering Respondent has not only acknowledged the gravity of the problem but has taken sustained, multi-departmental measures over the years for prevention, detection, compensation and rehabilitation of silicosis-affected workers. The Department of Mines & Geology has been actively coordinating with the Directorate General of Mines Safety (DGMS), Labour Department, Medical & Health Department, Rajasthan State Pollution Control Board and District Administrations for effective implementation of statutory mandates.

STEPS TAKEN BY THE STATE OF RAJASTHAN

I. RELIEF AND REHABILITATION TO PERSONS AFFECTED WITH PNEUMOCONIOSIS

It is respectfully submitted that the State Government has instituted a comprehensive rehabilitation framework for persons afflicted with Pneumoconiosis and their families. Under the policy, a one-time Rehabilitation Assistance of ₹3,00,000/- is granted to the affected person, and in the event of death, ₹2,00,000/- is provided to the legal heir/nominee along with Funeral Assistance of ₹10,000/- where not availed from any other source. Pneumoconiosis Pension, equivalent to that provided to persons with disabilities, is sanctioned irrespective of income criteria. Further, widow pension to the spouse and benefits under the Palanhar Scheme for family sustenance are extended without income limitations. All affected workers and their family members are extended benefits under State Government welfare schemes at par with ASTHA Card holders, and necessary procedures have been initiated and implemented for their inclusion in BPL and NFSA lists. The Rajasthan Skill and Livelihood Development Corporation has been entrusted with formulating and implementing skill development programmes for affected workers and their families. It is clarified that the monetary and other assistance provided under this policy is in the nature of Rehabilitation Assistance/Ex Gratia payment and does not in any manner prejudice the statutory right of the

affected worker or his legal heirs to seek compensation from the employer under applicable laws.

A copy of the Letter sent to Labour Department for necessary action at their end regarding legal support to pneumoconiosis affected persons is annexed herewith as **ANNEXURE A-1.**

II. REGULATION FOR PREVENTION OF PNEUMOCONIOSIS

The State Government took action to register all mines, industries and other establishments with dust hazards and potential to cause pneumoconiosis and will notify them as hazardous industry and bring them under appropriate regulatory framework irrespective of the number of employees. The State Government directed all employers to implement appropriate engineering dust control measures and preventive mechanisms as prescribed under the relevant statutes. It further mandated every mine, industry, or establishment where workers are exposed to dust and are at risk of developing Pneumoconiosis to formulate and effectively implement a comprehensive Personal Protective Equipment (PPE) programme. Additionally, the State shall prohibit the manufacture, use, and procurement of tools and equipment lacking adequate dust suppression systems, while incentivising small-scale industries to adopt and manufacture cutting, grinding, and carving equipment integrated with in-built dust control technologies

A copy of the Letters sent to Mines, Industry and Labour departments to register all silicosis prone establishments

and implementation of enforcement of measures for prevention and control of pneumoconiosis is annexed herewith as **ANNEXURE A-2.**

III. MEDICAL SURVEILLANCE AND STRENGTHENING OF DIAGNOSTIC MECHANISM

It is submitted that the State has adopted a comprehensive medical surveillance mechanism in coordination with the Medical & Health Department. Pneumoconiosis Boards have been established in Government Medical Colleges for standardized diagnosis of silicosis. Medical officers have been trained in occupational health and in the use of the ILO Classification of Chest Radiographs for Pneumoconiosis, thereby ensuring scientific and uniform diagnostic standards. Suspected cases are referred through district-level mechanisms and certified cases are entered into the State's dedicated portal for further action.

A copy of the Action Taken Report related to the health measures taken by the Government is annexed herewith as **ANNEXURE A-3.**

A copy of the report depicting the awareness and training programmes organised by State Government is annexed herewith as **ANNEXURE A-4**

IV. STATE-LEVEL POLICY IMPLEMENTATION AND ACCOUNTABILITY MEASURES

The State has undertaken several key measures to operationalise the policy framework. A National Implementation Committee has been constituted to prepare the draft implementation document, while the Department of Evaluation has prepared an evaluation report, annexed

as Annexure—5, to inform policy formulation. Compliance with the Right to Information Act, 2005 has been mandated for public disclosure of implementation-related information. An annual social audit, following the Auditing Standards of Social Audit laid down by the Office of the Auditor General of Rastafari, has been institutionalised, to be facilitated by an independent body. Regular dialogue platforms—Samavadi—have been organised by the nodal agency to foster interface between implementing officials and stakeholders, supplemented by regular meetings and discussions conducted by the Directorate of Special Advisers.

A copy of the evaluation report of benefits payable under Rajasthan Silicosis Policy, 2019 for social audit prepared by the department is annexed herewith as **ANNEXURE A-5.**

V. IMPLEMENTATION OF PNEUMOCONIOSIS POLICY AND DISBURSEMENT OF FINANCIAL ASSISTANCE

The State of Rajasthan has launched the Policy on Pneumoconiosis on 03.10.2019 for providing measures relating to detection, prevention, control and rehabilitation of persons affected by pneumoconiosis, including silicosis. Upon certification of silicosis, affected workers and, in case of death, their dependents are extended financial assistance in accordance with the notified policy. Substantial financial assistance has been disbursed by the State Government towards rehabilitation and compensation of affected persons, reflecting the commitment of the State towards ensuring social security and welfare of mine

7

workers. Pursuant to the said policy the regular monitoring, check-ups and Action Taken Reports are being called among the officials to curb the cause as being monitored by this Hon'ble Tribunal.

A copy of the template showing responsibilities of the respective departments for implementation of the Policy by the Directorate of specially Abled Persons is annexed herewith as **ANNEXURE A-6.**

A copy of minutes of the meeting of the Standing Committee held on 28th January, 2026 under the Chairmanship of the Chief Secretary reviewing implementation of the Policy is annexed herewith as **ANNEXURE A-7.**

VI. PNEUMOCONIOSIS FUND

The State Government has established a dedicated "Pneumoconiosis Fund" to ensure effective implementation of the Policy and coordinated execution of all related activities. The Fund is operated by the designated Administrative/Nodal Department under the overall supervision of the Steering Committee chaired by the Chief Secretary, Rajasthan. Contributions to the Fund are received in bulk from the District Mineral Foundation Trusts (DMFT), the Building and Other Construction Workers (BOCW) Welfare Fund, the State Budget, and Corporate Social Responsibility (CSR) sources, and are utilised through the Treasury or P.D. account for undertaking various welfare, relief, and rehabilitation measures. Other concerned departments discharge their respective mandates either through their own budgetary

8

provisions or with support from the Pneumoconiosis Fund, ensuring structured and accountable implementation.

A copy of the guidelines regarding constitution and operation of the "Pneumoconiosis Fund" under the Directorate of Specially Abled Persons, detailing its funding sources and supervision by the Steering Committee chaired by the Chief Secretary, Rajasthan is annexed herewith as **ANNEXURE A-8.**

VII. ACHIEVEMENTS UNDER THE POLICY (AS ON 31.01.2026)

S. NO.	PARTICULARS	ACHIEVEMENTS
1.	Number of Persons Registered on Portal for Screening	**1,18,603**
2.	Number of Persons Screened for Silicosis	**1,09,221**
3.	Number of persons certified for Silicosis	**6,513**
4.	Number of Silicosis beneficiaries paid relief including death cases from old and new silicosis portals.	**9,460**
5.	The total amount of relief paid	**Rs. 696.0 Crores**
6.	Number of Silicosis Pensioners.	**25,254**
7.	Number of children beneficiaries of Silicosis	**18,727**

9

	Palanhaar Scheme.	
8.	Number of NFSA beneficiary families of Silicosis.	**38,000 (approx.)**

CONCLUSION AND UNDERTAKING

6. In view of the above, it is respectfully submitted that Respondent No. 5 – State of Rajasthan – has taken continuous and concrete steps to enforce statutory safeguards, prevent exposure to silica dust, ensure lawful mining operations, and coordinate with concerned departments for detection and rehabilitation of silicosis-affected workers. The matter is already under monitoring pursuant to the judgment of the Hon'ble Supreme Court and orders of this Hon'ble Tribunal, and the Answering Respondent remains committed to full compliance with all directions issued from time to time.

7 That the Answering Respondent craves leave of this Hon'ble Tribunal to place on record any further report, affidavit or document, if so required, in compliance with future directions.

FILED BY:

(SHIV MANGAL SHARMA) & (SAURABH RAJPAL)
(ADVOCATE FOR RESPONDENT NO. 5
STATE OF RAJASTHAN)
OFFICE:-D-291, 2ND 3 RD FLOOR,
DEFENCE COLONY
NEW DELHI-110024
MOB: -99717 92885
E-MAIL: -advocatesaurabhrajpal@gmail.com

PLACE: NEW DELHI
DATE: __.03.2026

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,

PRINCIPAL BENCH, AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO.1198 OF 2024

IN THE MATTER OF

PEOPLES RIGHTS AND SOCIAL RESEARCH CENTRE (PRASAR) & ORS. ...APPLICANTS

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS. ...RESPONDENTS

AFFIDAVIT

I, **Mr. Vijay Sharma** S/o Lt Sh. Krishna Kumar Sharma, aged about 52 years, at present working as Sr. Environmental Engineer, Rajasthan State Pollution Control Board Headquarters, Jaipur, and Officer In Charge for the **Respondent No.5** i.e., State of Rajasthan Through Chief Secretary solemnly swear and affirm on as under:-

1. That I am the Officer in Charge (OIC) in the above captioned matter for the State of Rajasthan Through Chief Secretary (Respondent No. 5). I am well conversant with the facts and circumstances of the case.

2. I state that I have read and understood the contents of the accompanying Reply which has been drafted by my counsel under my instructions and the same has been explained to me. I say that the contents of the same are true and correct to the best of my knowledge and belief.

3. That the submissions made therein are believed to be true and nothing material has been concealed there from.

4. I say that Annexure in the instant Reply is the true and correct copy, true and typed copy and true and translated copy of the original.

NOTARY GOVT. OF INDIA Umesh Kumar Meena Advocate Jaipur (Raj) India Regd. No. 6822

DEPONENT
विजय शर्मा
वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता

VERIFICATION

I, the Deponent above named do hereby solemnly affirm that contents of Paragraphs no.1 to 4of the foregoing Affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed there from.

Verified at __________on this day of _______________,2026.

ATTESTED
NOTARY PUBLIC JAIPUR (RAJ) INDIA
19 MAR 2026

DEPONENT

विजय शर्मा
वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता

राजस्थान सरकार
निदेशालय विशेष योग्यजन
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1 ए, विशेष योग्यजन भवन, राजमहल होटल के पीछे, जयपुर

विषयः– सिलिकोसिस बीमारी की रोकथाम एवं पीड़ितों को हितलाभ दिलवाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपका ध्यान सिलिकोसिस बीमारी की गम्भीरता की ओर आकर्षित कर निवेदन है कि सिलिकोसिस एक लाईलाज बीमारी जिससे ठीक होने की संभावना नगण्य है। ऐसे में सिलिकोसिस से बचाव हेतु कारखानों व कार्यस्थलों पर सुरक्षा मापदण्डों की अनुपालना का नियमित रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा (Health Safety) की दृष्टि से निरीक्षण किया जाना आवश्यक हैं। इस संबंध में मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग द्वारा निरीक्षण की एक नीति बनाकर समयबद्ध रूप से निरीक्षण किये जाने व कारखानों में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी नियमों की सख्ती से पालना करवायी जानी आवश्यक है।

इसके अलावा कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत भी सिलिकोसिस एक व्यवसायजनित एवं प्रतिपूरक (compensable) रोग है, अतः इसके पीड़ित व मृतक आश्रितों को कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत प्रतिकर दिलाया न्यायोचित है। अतः श्रम विभाग के क्षतिपूर्ति आयुक्तों को इस संबंध में निर्देशित किया जाना तथा श्रमिकों एवं नियोजकों में सिलिकोसिस के प्रति जागरूकता पैदा किया जाना आवश्यक है जिससे सिलिकोसिस से बचाव किया जा सके एवं पीड़ितों को समय सीमा में हित लाभ मिल सके।

L1(A/S)

(डॉ. समित शर्मा)
शासन सचिव

प्रमुख शासन सचिव
श्रम एवं कारखाना बॉयलर्स विभाग,
राजस्थान, जयपुर

यू.ओ. नोट कमांक : एफ.8(11)सिलिकोसिस/नि.वि.यो./2020/पार्ट–1/29424
जयपुर, दिनांक : 05/01/2023

ANNEXURE A-2

Aparna Arora, IAS,
Additional Chief Secretary
to Government

Government of Rajasthan
Social Justice & Empowerment Department

DO. No.F.8(11)(1)SILICOSIS/DSAP/2022-00302/20809
Jaipur, Dated: 18.11.2025

As you are aware that Directorate of Specially Abled Persons, Social Justice and Environment, is the nodal department for implementation of *Rajasthan Pneumoconiosis Policy–2019*, which aims at prevention, early detection, and rehabilitation of persons affected with silicosis and other occupational pneumoconiosis. The Directorate implements a comprehensive system through Rajsilicosis Portal for certification of silicosis and disbursement of rehabilitation assistance to silicosis affected persons. Since implementation of Rajasthan Pneumoconiosis Policy 2019, a total of 19,941 including 7174 cases of deaths due to silicosis have been given rehabilitation assistance of Rs 593.11 Crores. Majority of these cases of silicosis are from the sand stone mines.

Silicosis is a highly disabling and invariably fatal but totally preventable occupational lung disease with adoption of dust control measures. You would agree that in view of the large number of silicosis cases detected in sandstone mining areas, there is urgent need to implement silicosis prevention measures in mines with particular reference to sand stone mines including adoption of safer technologies such as wire saw cutting, prevention dry drilling, use of personal protective measure, etc.

The directorate has been coordinating silicosis prevention measure in mines, particularly in relation to sandstone mines operating in the State. In this connection, you are kindly requested to:

1. **Issue suitable directions to all leaseholders and mine operators** to ensure strict compliance with dust suppression, use of personal protective equipment (PPE), periodic health check-ups of workers, and adherence to the occupational health standards as prescribed under the Policy.
2. **Issue suitable directions to all mine operators** to discourage employing persons affected with silicosis and who have been given rehabilitation assistance under Rajasthan Pneumoconiosis Policy, in dusty operations where their disease is likely to be aggravated.

Room 1108, Main Building, Government Secretariat, Jaipur, Rajasthan — 302 005
Office : 0141-2227795 e-Mail : ps-sje@rajasthan.gov.in

3. **Issue suitable directions to concerned officials** to provide year-wise list of cases certified for silicosis in mines and rehabilitation assistance disbursed by Mines Department under silicosis relief schemes

4. **Provide an updated district-wise list of active sandstone mines**, including details of lessees and employment strength, to the Directorate of Specially Abled Persons, for further necessary action as per the provisions of the Policy.

Your cooperation in implementing preventive and welfare measures under the Rajasthan Pneumoconiosis Policy–2019 will go a long way in protecting the health and livelihoods of mine workers.

Yours sincerely,

Aparna Arora

Digitally signed by Aparna Arora
Date: 2025.11.18 13:50:16 +05'30'

(Aparna Arora)

Shri T. Ravikanth, IAS
Principal Secretary to Government
Mines and Petroleum Department,
Government of Rajasthan.

Aparna Arora, IAS,
Additional Chief Secretary
to Government

Government of Rajasthan
Social Justice & Empowerment Department

DO. No.F.8(11)(1)SILICOSIS/DSAP/2022-00302/20810
Jaipur, Dated: 18.11.2025

As you are aware that Directorate of Specially Abled Persons, Social Justice and Environment, is the nodal department for implementation of *Rajasthan Pneumoconiosis Policy–2019*, which aims at prevention, early detection, and rehabilitation of persons affected with silicosis and other occupational pneumoconiosis. The Directorate implements a comprehensive system through Rajsilicosis Portal for certification of silicosis and disbursement of rehabilitation assistance to silicosis affected persons. Since implementation of Rajasthan Pneumoconiosis Policy 2019, a total of 19,941 including 7174 cases of deaths due to silicosis have been given rehabilitation assistance of Rs 593.11 Crores. A significant number of these cases of silicosis are from sand stone carving, stone crushing, quartz grinding and other silicosis prone industries.

Silicosis is a highly disabling and invariably fatal but totally preventable occupational lung disease with adoption of dust control measures. You would agree that in view of the large number of silicosis cases detected in Rajasthan, there is urgent need to implement silicosis prevention measures including adoption of safer technologies, dust control measures, use of personal protective measure, etc.

The directorate has been coordinating silicosis prevention measures in silicosis prone industries, particularly in relation to sandstone carving, crushing, quartz grinding, sand manufacturing, etc operating in the State. In this connection, you are kindly requested to:

1. **Issue suitable directions to all operators of silicosis prone industries** to ensure strict compliance with dust suppression and control measures, use of personal protective equipment (PPE), periodic health check-ups of workers, and adherence to the occupational health standards as prescribed under the Policy.
2. **Issue suitable directions to all silicosis prone industry operators** to discourage employing persons affected with silicosis and who have been given rehabilitation assistance under Rajasthan Pneumoconiosis Policy, in dusty operations where their disease is likely to be aggravated.

Room 1108, Main Building, Government Secretariat, Jaipur, Rajasthan — 302 005
Office : 0141-2227795 e-Mail : ps-sje@rajasthan.gov.in

3. **Provide an updated district-wise list of silicosis prone industrial units**, including details of operators and employment strength, to the Directorate of Specially Abled Persons, for further necessary action as per the provisions of the Policy.

Your cooperation in implementing silicosis prevention measures under the Rajasthan Pneumoconiosis Policy–2019 will go a long way in protecting the health and livelihoods of workers employed in these industrial units.

Yours sincerely,

Aparna Arora

Digitally signed by Aparna Arora
Date: 2025.11.18 13:49:26 +05'30'

(Aparna Arora)

Shri Alok Gupta, IAS
Principal Secretary to Government
Industries Department,
Government of Rajasthan.

आज़ादी का अमृत महोत्सव

भीम BHIM

राजस्थान सरकार
निदेशालय विशेष योग्यजन
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1 ए, विशेष योग्यजन भवन, राजमहल होटल के पीछे, जयपुर

विषयः– सिलिकोसिस रोग की रोकथाम हेतु विभागीय कार्ययोजना भिजवाने के संबंध में।
संदर्भः– न्यूमोकोनियोसिस (सिलिकोसिस) नीति स्टेक–होल्डर विभागों की दिनांक 12.10.2022 को आयोजित सेमीनार में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान न्यूकोनियोसिस (सिलिकोसिस) नीति 2019 के क्रियान्वयन एवं सिलिकोसिस से संबंधित अन्य बिन्दुओं पर शासन सचिवालय कॉन्फ्रेन्स हॉल में दिनांक 12.10.2022 को आयोजित सेमीनार में माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मुख्य सचिव महोदया, नीति स्टेक–होल्डर विभागों एवं सिविल सोसायटी/एनजीओ प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया। उक्त सेमीनार में माननीय मंत्री महोदय द्वारा न्यूमोकोनियोसिस (सिलिकोसिस) रोग के रोकथाम, बचाव एवं नियंत्रण हेतु कार्ययोजना संबंधित स्टेकहोल्डर विभागों से 07 दिवस में निदेशालय विशेष योग्यजन को भिजवाने हेतु निर्देशित (बैठक कार्यवाही प्रति संलग्न) किया गया था जिसके क्रम में आपके विभाग से कार्ययोजना प्राप्त होना आदिनांक तक अपेक्षित है।

अतः निवेदन है कि न्यूमोकोनियोसिस (सिलिकोसिस) रोग के रोकथाम, बचाव एवं नियंत्रण हेतु आपके विभाग से संबंधित न्यूमोकोनियोसिस (सिलिकोसिस) नीति (प्रति संलग्न) में वर्णित निम्नलिखित बिन्दुओं पर आपके विभाग की कार्ययोजना निम्नांकित प्रारूप में यथाशीघ्र निदेशालय विशेष योग्यजन को भिजवाने का श्रम करावें:–

विभाग (सिलिकोसिस नीति अन्तर्गत बिन्दु)	आपके विभाग की कार्ययोजना	बिन्दुवार किये जाने वाले टास्क	माह दिसम्बर 2022 से फरवरी 2023 तक अर्जित किये जाने वाले लक्ष्य
Labour Department (8.7.4: Information, Education and Communication (IEC) activities for Building and Construction Workers and identification of Hot Spots)			
Chief Inspector of Factories & Boilers Department (8.5.1, 8.6.2 & 8.6.3: Regulation and Enforcement)			

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(डॉ. समित शर्मा)
शासन सचिव

शासन सचिव,
श्रम एवं रोजगार विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक : एफ.8(11)सिलिकोसिस/नि.वि.यो./2020/2381।
जयपुर, दिनांक 08/11/2022

राजस्थान सरकार
निदेशालय विशेष योग्यजन

जी 3/1 ए, विशेष योग्यजन भवन, राजमहल होटल के पीछे, जयपुर
ईमेल–dir.dsap@rajasthan.gov.in फोन न–0141–2222249

क्रमांक : एफ 8(8)सिलिकोसिस/नि.वि.यो./2020/26910 जयपुर, दिनांक 21/11/2022

खान सुरक्षा निदेशक,
खान सुरक्षा महानिदेशालय,
अजमेर क्षेत्र, अजमेर।

विषयः– सिलिकोसिस रोग के रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही करने बाबत्।
प्रसंगः– अतिरिक्त निदेशक (खान), पर्यावरण एवं विकास, निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान, खनिज भवन, उदयपुर के पंत्राक 1218 दिनांक 20.10.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र(प्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है किः–

1. माईन्स एक्ट–1952 में वर्णित प्रावधानों की पालना खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा कराई जाती है।
2. राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम–2017 के chapter VI नियम–34 Environmental Safeguard में प्रावधान किये गये हैं कि खनन पट्टाधारियों द्वारा श्रमिकों का सामयिक स्वास्थ्य परीक्षण एवं खनन कार्य में गीली ड्रिंलीग (Wet Drilling) का उपयोग आवश्यक है, जिसका अनुपालन खन्न पट्टाधारियों द्वारा आवश्यक रूप से किया जाना है। जहां तक खन्न पट्टाधारियों की खन्न पट्टों का संविदा निष्पादन के समय शर्त समाहित करने का प्रावधान है, संविदा की पूर्ति 4(13) में पट्टाधारी को राज्य सरकार/केन्द्रिय सरकार द्वारा जारी समस्त नियम, एक्ट जो सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण व अन्य से संबंधित है, की पालना की जानी आवश्यक होगी। फिर भी संविदा में विशिष्ठ तौर से सिलिकोसिस रोग की रोकथाम के लिए प्रावधान अंकित कराने हेतु शासन को प्रस्ताव अलग से प्रेषित किये जा रहे हैं।

उपरोक्त क्रम में निवेदन है कि खनन कार्यों में सिलिकोसिस रोग के रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का श्रम करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ. नरेन्द्र चौधरी)
अतिरिक्त निदेशक

क्रमांक : एफ 8(8)सिलिकोसिस/नि.वि.यो./2020/26911–14 जयपुर, दिनांक 21/11/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, निदेशालय विशेष योग्यजन, राजस्थान जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (खान), पर्यावरण एवं विकास, निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान, खनिज भवन, उदयपुर।
4. खान सुरक्षा महानिदेशक, धनबाद।

अतिरिक्त निदेशक

जरिए mail

राजस्थान सरकार
Government of Rajasthan
निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान
DIRECTORATE OF MINES & GEOLOGY,
खनिज भवन/Khanij Bhavan उदयपुर/Udaipur-313001
दूरभाष/Phones: 2415091-95 फैक्स/Fax: (0294) 2410526

क्रमांकः निदे/अनिखा/पर्या/सिलिको–निवियो/2020/1218 दिनांक 20.10.2022

प्रेशितिः–

आयुक्त एवं शासन सचिव,
निदेशालय, विशेष योग्यजन,
जयपुर ।

विषयः–सिलिकोसिस रोग के रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही करने बाबत्।

प्रंसगः–आपका पत्र क्रमांक एफ8(8)सिलिकोसिस/नि.वि.यो./2020/20235 दिनांक 19.9.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचना निम्नानुसार प्रेषित हैः–

21 OCT 2022

1. माईन्स एक्ट–1952 में वर्णित प्रावधानों का खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा पालना कराई जाती है।
2. राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम–2017 के chapter VI नियम–34 Environmental safeguard में ये प्रावधान किये गये है कि खन्न पट्टाधारियों को सामयिक स्वास्थ्य परीक्षण एवं गीली ड्रिंलीग करना आवश्यक है। जिसकी पालना खन्न पट्टाधारियों को की जानी है। जहां तक खन्न पट्टाधारियों के खन्न पट्टो का संविदा निष्पादन के समय शर्त समाहित करने का प्रावधान है संविदा की पूर्ति 4(13) में पट्टाधारी को राज्य सरकार/केन्द्रिय सरकार द्वारा जारी समस्त नियम, एक्ट की पालना की जानी आवश्यक होगी जो सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण व अन्य से संबंधित है । फिर भी संविदा में विशिष्ठ तौर से अंकित कराने हेतु शासन को प्रस्ताव अलग से प्रेषित किये जा रहे है।

4908 02/11/2022

5111 11/11/2022

भवदीय

(पी.आर.आमेटा)
अतिरिक्त निदेशक(खान)
पर्यावरण एवं विकास

क्रमांकः निदे/अनिखा/पर्या/सिलिको–निवियो/2020/1219 दिनांक 20.10.2022

प्रतिलिपिः– खान सुरक्षा उपमहानिदेशक, उत्तरी जोन, गाजियाबाद को उनके पत्र क्रमांक डीडीजी(उ.अं.) सिलिकोसिस/2022 दिनांक को सूचनार्थ प्रेषित है।

अतिरिक्त निदेशक(खान)
पर्यावरण एवं विकास

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः क्षय/सिलिकोसिस/2026/34 दिनांकः 13-01-2026

ANNEXURE A-3

आयुक्त
एवं विशिष्ट शासन सचिव,
निदेशालय, विशेष योग्यजन,
राजस्थान सरकार,
जयपुर।

विषयः– राजस्थान न्यूमोकोनियोसिस (सिलिकोसिस) नीति 2019 के क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय न्यूमोकोनियोसिस (सिलिकोसिस) बैठक (01/07/2022) कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 2, 5 एवं 11 की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की पालना रिपोर्ट भिजवाने बाबत्।

संदर्भः– आपके पत्र क्रमांक एफ.8(11)(1)सिलिकोसिस/नि.वि.यो./2022/23790–96 दिनांक 08.01.2026 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित के क्रम में राजस्थान न्यूमोकोनियोसिस (सिलिकोसिस) नीति 2019 के क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय न्यूमोकोनियोसिस (सिलिकोसिस) बैठक (01/07/2022) कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 2, 5 एवं 11 की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की पालना रिपोर्ट निम्नानुसार हैः–

- सिलिकोसिस रोकथाम हेतु वर्ष 2024 एवं 2025 में आयोजित स्क्रीनिंग कैंप की सख्या 3055 है एवं कैम्प में आये लाभार्थियों की संख्या 90129 है।
- सिलिकोसिस रोकथाम नियंत्रण एवं उन्मूलन हेतु जागरूकता (IEC) हेतु वर्ष 2024 एवं 2025 में गतिविधियां तथा सेंसेटाईजेशन गतिविधियों की संख्या 5530 है।
- सभी CHC/PHC पर नियुक्त चिकित्सकों की आधारभूत व्यवसायिक स्वास्थ्य सेवाओं तथा न्यूमोकोनियोसिस रोग के स्क्रीनिंग एवं न्यूमोकोनियोसिस बोर्ड में कार्यरत चिकित्सकों को ILO (International Classification of Radiographs) of Pneumoconioses का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

CSAP

69 ACCESSED
DATE 15-01-2026

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः क्षय/सिलिकोसिस/2026/34 दिनांकः 13-01-2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

JD

16 JAN 2026

अनुपालना

5612
19/1/26

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः क्षय/सिलिकोसिस/2026/34 दिनांकः 13-01-2026

ANNEXURE A-4

आयुक्त
एवं विशिष्ट शासन सचिव,
निदेशालय, विशेष योग्यजन,
राजस्थान सरकार,
जयपुर।

विषयः— राजस्थान न्यूमोकोनियोसिस (सिलिकोसिस) नीति 2019 के क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय न्यूमोकोनियोसिस (सिलिकोसिस) बैठक (01/07/2022) कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 2, 5 एवं 11 की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की पालना रिपोर्ट भिजवाने बाबत्।

संदर्भः— आपके पत्र क्रमांक एफ.8(11)(1)सिलिकोसिस/नि.वि.यो./2022/23790—96 दिनांक 08.01.2026 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित के क्रम में राजस्थान न्यूमोकोनियोसिस (सिलिकोसिस) नीति 2019 के क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय न्यूमोकोनियोसिस (सिलिकोसिस) बैठक (01/07/2022) कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 2, 5 एवं 11 की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की पालना रिपोर्ट निम्नानुसार हैः—

- सिलिकोसिस रोकथाम हेतु वर्ष 2024 एवं 2025 में आयोजित स्क्रीनिंग कैंप की सख्या 3055 है एवं कैम्प में आये लाभार्थियों की संख्या 90129 है।
- सिलिकोसिस रोकथाम नियंत्रण एवं उन्मूलन हेतु जागरूकता (IEC) हेतु वर्ष 2024 एवं 2025 में गतिविधियां तथा सेंसेटाईजेशन गतिविधियों की संख्या 5530 है।
- सभी CHC/PHC पर नियुक्त चिकित्सकों की आधारभूत व्यवसायिक स्वास्थ्य सेवाओं तथा न्यूमोकोनियोसिस रोग के स्क्रीनिंग एवं न्यूमोकोनियोसिस बोर्ड में कार्यरत चिकित्सकों को ILO (International Classification of Radiographs) of Pneumoconioses का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

CSAP

169 ACCSJED
DATE 15-01-2026

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः क्षय/सिलिकोसिस/2026/34 दिनांकः 13-01-2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

JD
49
16 JAN 2026

अनुपालना

5612
19/01/26

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग
राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक : निदे/अनिखा/पर्या/नि.वि.यो/2024/ दिनांक .11.2024

प्रेषिति,

आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव
निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर ।

विषयः—राजस्थान न्यूमोकोनियोसिस (सिलिकोसिस) नीति—2019 के कियान्वन हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय न्यूमोकोनियोसिस (सिलिकोसिस) कियान्वयन समिति के कम में ।

प्रसंगः—आपका पत्र कमांक एफ.8(11)(1)सिलिकोसिस/नि.वि.या./2022/16232—33 दिनांक 6.11.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित राजस्थान न्यूमोकोनियोसिस (सिलिकोसिस) नीति—2019 के कियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय न्यूमोकोनियोसिस (सिलिकोसिस) कियान्वयन समिति की आगामी बैठक के संबंध में समिति की दिनांक 1.7.2022 को आयोजित चतुर्थ बैठक के संबंध में बिन्दुओं पर अद्यतन पालना (ATR) रिपोर्ट इस पत्र के साथ अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

भवदीय

(दीपक तंवर)
अतिरिक्त निदेशक (खान)
पर्यावरण एवं विकास

क्रमांक : निदे/अनिखा/पर्या/नि.वि.यो/2024/ दिनांक .11.2024

प्रतिलिपि— सयुंक्त शासन—सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर को उनके पत्र कमांक प12(4)खान/ग्रुप—ा/2018 पार्ट—6 दिनांक 7.11.2024 के संबंध में बिन्दुओं की अद्यतन पालना रिपोर्ट इस पत्र के साथ संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

(दीपक तंवर)
अतिरिक्त निदेशक (खान)
पर्यावरण एवं विकास

Signature Not Verified

Digitally signed by Deepak Tanwar
Designation : Additional Director
Date: 2024.11.25 22:10:23 IST
Reason: Approved

राजस्थान न्यूमोकोनियोसिस(सिलिकोसिस) नीति, 2019 के क्रियान्वयन हेतु गठित राज्य स्तरीय न्यूमोकोनियोसिस(सिलिकोसिस) क्रियान्वयन समिति की दिनांक 1.7.2022 को आयोजित चतुर्थ बैठक में मुख्य सचिव महोदया द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अद्यतन अनुपालना रिपोर्ट भिजवाने बाबतः—

क्र.सं.	प्रदत्त निर्देश	संदर्भित विभाग
1	सिलिकोसिस रोकथाम पर संबधित विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यो की रिपोर्ट मंगवायी जावें ।	1. वित्तीय वर्ष (2024—25) (माह अक्टूबर) कुल 242 स्वास्थ्य शिविरो का आयोजन स्वास्थ्य विभाग एवं खान विभाग के सयुंक्त तत्वाधान में किया गया । जिसमें कुल 6,320 श्रमिकों श्रमिकों का परीक्षण किया किया गया। 2. सिलिकोसिस बीमारी की रोकथाम हेतु वित्तीय वर्ष (2024—25 में) (माह अक्टूबर) कुल 288 जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। 3. वित्तीय वर्ष (2024—25) (माह अक्टूबर) कुल 890 खन्न पट्टे एवं 124 क्वारी लाईसेंसों का निरीक्षण खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ताओं द्वारा किया जाकर सिलिकोसिस बीमारी से बचाव के हेतु किये गये प्रयासों की जानकारी प्राप्त की गई हैं । खन्न क्षेत्रों में 'वेट ड्रिलिंग' प्रयोग में लाई जावे इस हेतु खन्न पट्टों का निरीक्षण कर सुनिश्चित किया जाता है। 4. वित्तीय वर्ष (2024—25) (माह अक्टूबर) तक कुल 9,394 (हेल्मेट, सेफ्टी शूज, ग्लब्ज, सेफ्टी जैकेट, सेफ्टी किट) सुरक्षा उपकरणों का वितरण श्रमिकों की सुरक्षा हेतु वितरीत किया गया हैं । 5. वित्तीय वर्ष (2024—25) (माह अक्टूबर) तक 20,127 डस्ट मास्क का वितरण खन्न श्रमिकों की सुरक्षा प्रदान करने हेतु वितरीत किये गये है। 6. खन्न कार्य के दौहरान डस्ट के उत्पादन को कम करने हेतु किये जा रहे उपायों का सहीं ढंग से प्रयोग में नहीं लाने पर वित्तीय वर्ष (2024—25) (माह अक्टूबर) तक 388 खन्न पट्टो/क्वारी लाईसेंसों को नोटिस जारी किया गया।
3	निदेशालय विशेष योग्यजन द्वारा भिजवाये गये टेम्पलेट के क्रम में किये जा रहे कार्यो की सूचना संबंधित विभागों द्वारा निरन्तर रूप से निदेशालय को भिजवायी जावे।	टेम्पलेट की सूचना इस वित्तीय वर्ष (2024—25 में) दिनांक 1.4. 2024 से 31.10.2024 तक एनेक्जर—1 पर संलग्न है।
4	खान विभाग द्वारा खन्न क्षेत्र/साइट पर जाकर खान मालिको से बैठक आयोजित कर सिलिकोसिस रोक के बचाव हेतु आवश्यक प्रयास किये जा रहे है।	वित्तीय वर्ष (2024—25) (माह अक्टूबर) कुल 890 खन्न पट्टे एवं 124 क्वारी लाईसेंसों का निरीक्षण कर नोटिस जारी किये गये। खन्न क्षेत्रों का निरीक्षण खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ताओं द्वारा किया जाकर सिलिकोसिस बीमारी से बचाव के हेतु किये गये प्रयासों की जानकारी प्राप्त की गई। खन्न क्षेत्रों में

		'वेट ड्रिलिंग' प्रयोग में लाई जावे इस हेतु खन्न पट्टों का निरीक्षण कर सुनिश्चित किया जाता है। खन्न क्षेत्रों में खन्न निरीक्षण कर नोटिस जारी किये गये ।
5	सिलिकोसिस पीडितों को सहायता राशि निरन्तर रूप से प्रदान की जा रही है इसकी प्रगति की समीक्षा करते हुए इस संतोषजनक बताया गया । अब सिलिकोसिस रोकथाम, नियंत्रण एवं उन्मूलन हेतु कार्यवाही जागरूकता कार्यक्रम (IEC) का संचालन संबंधित विभाग द्वारा किया जावे ।	वित्तीय वर्ष (2024–25) (माह अक्टूबर) कुल 242 स्वास्थ्य शिविरो का आयोजन स्वास्थ्य विभाग एवं खान विभाग के सयुंक्त तत्वाधान में किया गया । जिसमें 6,320 श्रमिकों का परीक्षण किया जाकर कुल श्रमिकों को सिलिकोसिस संदेहात्मक चिन्हित किया गया। सिलिकोसिस बीमारी की रोकथाम हेतु वित्तीय वर्ष (2024–25 में) (माह अक्टूबर) कुल 288 जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। वित्तीय वर्ष (2024–25) (माह अक्टूबर) तक कुल 9,394 (हेल्मेट, सेफ्टी शूज, ग्लब्ज, सेफ्टी जैकेट, सेफ्टी किट) सुरक्षा उपकरणों का वितरण किया गया । वित्तीय वर्ष (2024–25) (माह अक्टूबर) तक 20,127 डस्ट मास्क का वितरण खन्न श्रमिकों की सुरक्षा प्रदान करने हेतु वितरीत किये गये है।
6	क्या सिलिकोसिस से पीडित व्यक्ति / परिवारजनों का सहायता राशि उपलब्ध करवाने एवं सिलिकोसिस प्रभावित कार्यस्थलों पर सिलिकोसिस रोग की रोकथाम की कार्यवाही करने की दृष्टि से श्रमिक का पंजीकरण किया जावे । इस हेतु श्रम विभाग द्वारा शासन सचिव श्रम विभाग की अध्यक्षता में संबंधित विभाग (केन्द्र सरकार के विभागों सहित) के साथ एक बैठक आयोजित की जावे।	इस वित्तीय वर्ष (2024–25) (माह अक्टूबर) कुल 242 स्वास्थ्य शिविरो का आयोजन स्वास्थ्य विभाग एवं खान विभाग के सयुंक्त तत्वाधान में किया गया । जिसमें 6,320 श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। सिलिकोसिस बीमारी की रोकथाम हेतु वित्तीय वर्ष (2024–25 में) (माह अक्टूबर) कुल 288 जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। वित्तीय वर्ष (2024–25) (माह अक्टूबर) तक कुल 9394 (हेल्मेट, सेफ्टी शूज, ग्लब्ज, सेफ्टी जैकेट, सेफ्टी किट) सुरक्षा उपकरणों का वितरण किया गया । वित्तीय वर्ष (2024–25) (माह अक्टूबर) तक 20,127 डस्ट मास्क का वितरण खन्न श्रमिकों की सुरक्षा प्रदान करने हेतु वितरीत किये गये है।

<u>सिलिकोसिस रोकथाम हेतु विभाग द्वारा किये गये कार्यो की रिपोर्टः–</u>

कार्यो का विवरण	वित्तीय वर्ष 2024–25 (अक्टूबर)
डस्ट मास्क वितरण	20,127
जागरूकता कैम्प	288
स्वास्थ्य परीक्षण शिविर(खान विभाग एवं चिकित्सा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में)	242
स्वास्थ्य शिविर में सिलिकोसिस बीमारी हेतु परीक्षण किये गये कामगार	6,320
सिलिकोसिस की रोकथाम हेतु वितरीत किये गये उपकरणों की संख्या (हेल्मेट, सेफ्टी शूज, ग्लब्ज, सेफ्टी जैकेट, सेफ्टी किट)	9,394
खन्न पट्टों का निरीक्षण	890
क्वारी लाईसेंसों का निरीक्षण	124
खन्न पट्टाधारियों/क्वारी लाईसेंसधारियों के विरूद्व जारी नोटिस	388

ANNEXURE A-5

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित "राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 अन्तर्गत देय लाभ" के मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुपालना कार्यवाही बिन्दु (Action taken points)

क्र. स.	प्रतिवेदन की पृष्ठ संख्या	कार्यवाही बिन्दुओं का संक्षिप्त विवरण	विभाग द्वारा की गयी अनुपालना कार्यवाही
1.	1–3,53,58, 68,81,82	क्षेत्र कार्य के दौरान ज्ञात हुआ कि सिलिकोसिस बीमारी के प्रति जागरूकता में कमी, सिलिकोसिस प्रवृत्त कार्यों के दौरान परम्परागत तरीकों/साधनों का प्रयोग करने, बिना सुरक्षा उपायों/उपकरणों के सिलिकोसिस प्रवृत्त कार्य करने आदि के कारण श्रमिक सिलिकोसिस रोग से ग्रसित हो रहे है। श्रमिकों के निवास क्षेत्र के समीप रोजगार के अन्य साधनों की कमी/अभाव, परिवार एवं रिश्तेदारों के द्वारा खनन/पत्थर कटाई, घिसाई एवं घडाई के कार्यों में ही संलग्न होने के कारण वे भी सिलिकोसिस प्रवृत्त कार्यों में संलग्न पाये गये। **सुझाव दिया जाता है कि सिलिकोसिस बीमारी की भयानकता एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से पड़ने वाले विपरीत प्रभावों के संदर्भ में श्रमिकों को जागरूक कर इस पर नियंत्रण लाया जा सकता है। श्रमिकों में इस रोग के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता/सावधानी बढाये जाने हेतु योजनान्तर्गत कार्यशील विभागीय स्तरों से सिलिकोसिस प्रवृत्त कार्यस्थलों पर प्रचार–प्रसार में वृद्धि तथा व्यापक रूप से जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाना समीचीन होगा।** **सिलिकोसिस प्रवृत्त कार्यस्थलों पर फ्लैक्स बेनर, पोस्टर, रोग से बचाव/सुरक्षा संबंधी उपायों की जानकारी अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए ताकि श्रमिक सिलिकोसिस रोग की गंभीरता/भयानकता को समझ सके एवं पूर्ण सुरक्षा के साथ कार्य करने के लिए जागृत/सावधान रह सके।** **कार्यस्थल मालिकों/नियोक्ताओं के पास डस्ट/फेस मास्क, वेट ड्रिलिंग, धूल चूषक (अवक्षेपक) यंत्र, दस्ताने (ग्लव्स किट), हेलमेट, सेफ्टी–शू आदि पर्याप्त रूप से उपलब्ध होने एवं श्रमिकों को नियमित रूप से प्रदान करने पर ध्यान दिये जाने तथा सुरक्षा मानकों में कमी को दूर करने के निर्देश दिए जाने की भी आवश्यकता प्रतीत होती है।**	
2.	3–7, 55–57, 64,82	सिलिकोसिस बीमारी से श्रमिक की मृत्यु उपरांत आश्रित परिवार को योजनान्तर्गत दिये जाने वाले लाभों की जानकारी में कमी पायी गयी। कई परिवारों द्वारा श्रमिक की मृत्यु के एक वर्ष से अधिक अवधि तक भी योजनान्तर्गत लाभ प्राप्ति हेतु आवेदन नहीं किया जाना विदित हुआ। **सुझाव दिया जाता है कि सिलिकोसिस रोग प्रमाण पत्र के पिछले/अन्तिम पृष्ठ पर योजनान्तर्गत देय लाभों (श्रमिक के जीवित रहने के दौरान एवं मृत्यु पश्चात श्रमिक परिवार को देय लाभों) का विस्तृत वर्णन दर्ज/अंकन करने के साथ–साथ आवेदन की प्रक्रिया आदि का वर्णन/उल्लेख किया जाना समीचीन होगा।**	

Scanned with OKEN Scanner

3.	60,65,68, 83,87,88	क्षेत्र कार्य के दौरान ज्ञात हुआ कि सिलिकोसिस रोग से पीडित श्रमिकों को योजनान्तर्गत प्रमाण पत्र बनवाने से लेकर सहायता राशि/लाभ प्राप्त करने तक बिचौलिये/दलाल सक्रिय रहते है। ये बिचौलिये/दलाल योजनान्तर्गत देय लाभ/ सहायता राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया को जटिल बताकर श्रमिकों से प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से लाभ/फायदा उठाने का भरसक प्रयास/कोशिश करते रहते है। श्रमिकों की अज्ञानता/जागरूकता की कमी एवं कम शिक्षित होने आदि के कारण अधिकांश बिचौलिये/दलाल इसमें सफल भी हो जाते है। **सुझाव दिया जाता है कि सिलिकोसिस प्रवृत्त कार्य क्षेत्रों में विभाग द्वारा नियमित तौर/समय-समय पर स्थानीय पुलिस के माध्यम से सर्च अभियान चलाकर बिचौलिये/दलालों के खिलाफ नियमानुसार कठोर से कठोर कार्यवाही एवं जुर्माना लगाया जाना सुनिश्चित किया जाये। स्थानीय पुलिस द्वार भी नागरिकों में विश्वास कायम कर क्षेत्र में सक्रिय बिचौलियों/दलालों के बारे में जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए।** **सिलिकोसिस योजना के लाभार्थियों को बिचौलियों/दलालों से होने वाली आर्थिक हानि के प्रति जागरूक/सचेत किया जाये। उन्हें इस बात का विश्वास दिलाया जाये कि किन्हीं कारणों से कार्यकारी विभाग के स्तर से योजनान्तर्गत भुगतान के वितरण में विलम्ब लग सकता है परन्तु लाभार्थी पात्रता के सिद्ध होने पर उन्हें योजनान्तर्गत देय सहायत राशि/लाभ अवश्य मिलेगा।**	
4.	51-53,66, 74,83,84	सिलिकोसिस रोग से ग्रसित होने अथवा मृत्यु पश्चात परिवार के लोगों के पास कोई अन्य कामधन्धा/रोजगार/जीविकोपार्जन के लिए अन्य साधन उपलब्ध नहीं होने, कृषि योग्य भूमि का अभाव अर्थात भूमि का पत्थरीली होने आदि के कारण पुनः सिलिकोसिस प्रवृत्त कार्य में ही संलग्न/जुड़ाव होना उनकी मजबूरी होना विदित हुआ। सिलिकोसिस रोग से मृतक श्रमिक की विधवा एवं उनकी संतानों के जीवनयापन में भी अनेक समस्याऐं अवगत हुई जिनसे उनकी स्थिति भी अत्यन्त दयनीय अवलोकित हुई। **सुझाव दिया जाता है कि सिलिकोसिस रोग से पीड़ित श्रमिक एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिए वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्रदान किये जाने चाहिए। सिलिकोसिस प्रवृत्त क्षेत्रों में श्रमिकों हेतु अन्य रोजगारोन्मुखी कार्यों/घर पर रहकर/बैठकर व्यवसाय करने योग्य कार्यों यथा- गलीचा निर्माण, कशीदाकारी, मीनाकारी, पापड़-मंगौडी बनाने, दर्जी, इलेक्ट्रीक/इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रिपेयरिंग आदि से संबंधित कौशल विकास एवं आजीविका के विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान किये जाने के प्रयास किये जाने चाहिए। उक्त के संदर्भ में एनजीओ/स्थानीय भामाशाहो की सहायता लिये जाने पर विचार किया जा सकता है।** **श्रमिकों को अथवा उनके परिवार के लोगों को राज्य/केन्द्र सरकार की अन्य स्वरोजगार सहायता योजनान्तर्गत आंशिक/कम ब्याज दर एवं सरल किश्तों पर प्राथमिकता से ऋण उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। सिलिकोसिस रोग से मृतक श्रमिक की विधवा को**	

Scanned with OKEN Scanner

		विशेष पैकेज अन्तर्गत सहायता/रोजगार उपलब्ध करवाये जाने पर विचार किया जा सकता है। सिलिकोसिस रोग से पीडित श्रमिक परिवार के विद्यार्थियों को शिक्षा हेतु उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु कुछ स्थान आरक्षित करने एवं अध्ययन सहायता हेतु छात्रवृत्ति दिये जाने पर विचार किया जा सकता है।	
5.	3–7,10,11, 19–45,56, 57,84,85	क्षेत्र कार्य के दौरान ऐसे भी श्रमिक/मृतक श्रमिक परिवारों से सम्पर्क हुआ है जिन्होंने योजनान्तर्गत प्रावधानानुसार पंजीकरण तो करवा लिया परन्तु उनको अथवा उनके परिवार को योजनान्तर्गत देय सहायता राशि निर्धारित समय पर भी प्राप्त नहीं हुई और न ही उनको अन्य योजनाऐं जैसे पेंशन योजना, पालनहार योजना का लाभ प्राप्त हुआ। अनेक श्रमिक ऐसे भी मिले जिनका सिलिकोसिस प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त 6–8 माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बावजूद भी उनको योजनान्तर्गत देय सहायता राशि प्राप्त नहीं हो पायी। सिलिकोसिस के पुराने पोर्टल से नये पोर्टल पर श्रमिकों के डेटा स्थानान्तरण के कारण भी श्रमिकों को राशि भुगतान में देरी होना अवगत हुआ। **सुझाव दिया जाता है कि राजस्थान न्यूमोकोनियोसिस निवारण निधि अन्तर्गत निर्धारित आय के स्त्रोतों यथा– खनन विभाग (DMFT/SMFT) द्वारा राशि का अंशदान, श्रम विभाग द्वारा राशि का अंशदान, राज्य सरकार की संचित निधि से अंशदान के रूप में उपलब्ध करवाई जाने वाली राशि, निधि के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु केन्द्र अथवा अन्य गैर–सरकारी संगठनों से प्राप्त राशि, औद्योगिक संस्थाओं से सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत प्राप्त राशि तथा भामाशाहों द्वारा उपलब्ध करवायी गयी राशि को प्राप्त/वसूल/संकलित करने के यथासंभव प्रयास किये जाने चाहिए।** **योजनान्तर्गत सिलिकोसिस प्रमाण पत्र जारी होने के तुरन्त पश्चात (अविलम्ब) डीबीटी के माध्यम से श्रमिक के बैंक खाते में राशि जमा/भुगतान करवाने के प्रयास किये जाने चाहिए। पत्थर घडाई सिलिकोसिस प्रवृत्त इकाईयों को जिम्मेदार ठहराकर उनके वार्षिक टर्नओवर (Turnover) के आधार पर सिलिकोसिस CESS Tax की व्यवस्था किये जाने पर भी विचार किया जा सकता है।**	
6.	1–3,52, 58–60, 68,71,86, 87	क्षेत्र कार्य के दौरान अनेक स्थानों पर श्रमिकों द्वारा सिलिकोसिस प्रवृत्त कार्य बिना किसी सुरक्षा/उपकरण/उपाय अर्थात बिना डस्ट/फेस मास्क पहने, पत्थरों की सूखी ड्रिलिंग (पत्थर की ग्राइंडर से सूखी कटाई एवं घिसाई)/कटाई, घडाई/तुडाई करना पाया गया। अधिकांश कार्यस्थल के मालिक/नियोक्ताओं द्वारा भी श्रमिकों को उक्त उपायों के संदर्भ में सचेत/सावधान नहीं किया जाना अवलोकित/विदित हुआ। **सुझाव दिया जाता है कि सिलिकोसिस रोग के निवारण/रोकथाम हेतु कार्यस्थलों पर धूल संग्रहण/चूषक (अवक्षेपक) प्रणाली को सुचारू तथा समय–समय पर उसका रखरखाव किया जाना चाहिए। जिन कार्यस्थलों पर पत्थर कटाई,**	

Scanned with OKEN Scanner

		घडाई, घिसाई का कार्य अधिक मात्रा में किया जाता है वहाँ जल छिड़काव प्रणाली/पानी के फव्वारों/वाटर स्प्रे/स्टोन डस्ट प्रीसिपिटेटर का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। पत्थर की ग्राइंडर से सूखी कटाई एवं घिसाई पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर पानी के साथ पत्थर की कटाई/घिसाई/घडाई करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि श्रमिकों को कार्यस्थल पर धूल मुक्त वातावरण मिल सके। सिलिकोसिस प्रवृत्त कार्यस्थलों पर पूर्ण सुरक्षा के साधनों यथा– डस्ट/फेस मास्क का प्रयोग, वेट ड्रिलिंग आदि सुरक्षात्मक साधनों का उपयोग करते हुए श्रमिकों को कार्य करने हेतु जागरूक/समझाया जाना चाहिए। खनन क्षेत्रों में वन विभाग, भामाशाहों, स्वयंसेवी संगठनों, युवाओं आदि के माध्यम से अधिक से अधिक वृक्षारोपण करवाया जाना चाहिए। नियोक्ताओं/कारखाना मालिकों द्वारा कार्यस्थल पर सीसीटीवी भी लगाये जा सकते है ताकि जो श्रमिक बिना सुरक्षा के साधनों यथा बिना डस्ट मास्क लगाये कार्य करते पाये जाये तो उनको इससे होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में सचेत किया जा सके। कार्यस्थलों पर लगाये गये सीसीटीवी कैमरे को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, खनन विभाग, कारखाना बायलर्स विभाग आदि के ऑनलाईन वेब पोर्टल से जोडा जा सकता है तथा जिन कार्यस्थलों पर श्रमिकों द्वारा सुरक्षा उपाय के साधन नहीं पहने है तो उनके कार्यस्थलों के मालिकों/नियोक्ताओं से नियामानुसार जुर्माना वूसला जा सकता है एवं प्राप्त जुमार्ना राशि का उपयोग सिलिकोसिस उन्मूलन तथा सुरक्षा उपायों की पालना करने वाले कार्यस्थलों/श्रमिकों को प्रोत्साहन के रूप में दिया जा सकता है।	
7.	60,65,68, 83,87,88	क्षेत्र कार्य के दौरान मूल्यांकन दल को अनेक स्थानों पर श्रमिकों/श्रमिक संघों द्वारा जानकारी दी गयी एवं मूल्यांकन दल द्वारा भी महसूस किया गया कि योजनान्तर्गत देय सहायता का लाभ लेने हेतु कुछ असामाजिक व्यक्तियों द्वारा चिकित्सा कार्मिकों/दलाल/एजेन्ट/बिचौलियों आदि से मिली भगत कर सिलिकोसिस रोगी प्रमाण पत्र बनवा लिया जाता है जबकि वे स्वास्थ्य/शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ प्रतीत होते है। सिलिकोसिस रोग से पीड़ित वास्तविक श्रमिकों की भी सिलिकोसिस रोग प्रमाण बनने में समस्याऐं आनी विदित हुई, कुछ स्थानों पर ऐसे भी श्रमिक मिले जो शारीरिक दृष्टि से काफी कमजोर, दुबले–पतले, सांस लेने में परेशानी (ऑक्सीजन सिलेण्डर का उपयोग करते हुए), बोलते/चलते समय सांस भरना आदि लक्षणों को दृष्टि से सिलिकोसिस रोग से पीडित अवलोकित हो रहे थे परन्तु उनको योजनान्तर्गत प्रमाण पत्र बनवाने में समस्याऐं आनी विदित हुई। **सुझाव दिया जाता है कि सिलिकोसिस रोग से पीडित श्रमिक की पहचान एवं सिलिकोसिस प्रमाणीकरण प्रक्रिया को अधिक सुगम, सरल बनाने के लिए वर्तमान में प्रचलित एआई तकनीक (कृत्रिम बौद्धिक क्षमता) एवं क्लाउड आधारित पोर्टल का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अन्तर्गत डिजिटल एक्सरे को श्रमिकों के**	

Scanned with OKEN Scanner

		बायोमेट्रिक रिकार्ड में ऑनलाईन संधारित किया जाना चाहिए ताकि सिलिकोसिस पीड़ित श्रमिक की शीघ्र पहचान होने से रोग की गति/प्रसार को भी प्रारम्भिक स्तर पर ही रोका जा सके। एआई तकनीक की सहायता से ऑन द स्पाट कैम्प आयोजित कर श्रमिकों की स्क्रीनिंग की जा सकती है जिससे श्रमिक के फेफड़ों में कितने स्तर तक संक्रमण फैला है को जल्दी से जल्दी ज्ञात किया जा सकता है। श्रमिकों में सिलिकोसिस रोग की प्रारम्भिक आवस्था में ही फेफडों के संक्रमण की स्क्रीनिंग की जाकर सही समय पर ईलाज शुरू हो सकता है। योजनान्तर्गत देय सहायता राशि जारी करने से पूर्व रेण्डम आधार पर कम से कम 10 प्रतिशत श्रमिकों/आवेदकों/लाभार्थियों की पुनः जाँच करवाया जाना चाहिए ताकि गैर–कानूनी/अवैध तरीकों से योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाले अवांछित व्यक्तियों पर नियंत्रण लगाया जा सके। पुनः जाँच में फर्जी लाभार्थी पाये जाने पर राशि की ब्याज सहित वसूली तथा फर्जी प्रमाण पत्र बनाने में लिप्त चिकित्सा कार्मिकों/दलाल/एजेन्ट/बिचौलियों आदि के विरूद्ध अनुशासनात्मक/कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जानी चाहिए।	
8.	62,66, 74,88	क्षेत्र कार्य के दौरान ज्ञात/विदित हुआ कि कार्यस्थल पर कार्य के दौरान पहने जाने वाले कपड़े/पोशाक पहन कर ही कुछ श्रमिक स्वयं के घर आते–जाते है। कार्यस्थल पर पहने जाने वाले कपड़ों में अधिक मात्रा में पत्थर/मिट्टी के कण/रंज चिपके रहते है जिससे श्रमिक परिवार के भी सिलिकोसिस रोग से पीडित होने का अंदेशा/संभावना बनी रहती है। **सुझाव दिया जाता है कि कार्यस्थल पर पहने जाने वाले कपड़े घर पर नहीं ले जाने के संदर्भ में श्रमिकों में जानकारी/प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए। नियोक्ताओं द्वारा श्रमिकों को ऐसे कपड़े/पोशाक उपलब्ध करवायी जानी चाहिए जिन पर मिट्टी/धूल के कण जमा/चिपके नहीं रह पाते हो।** **नियोक्ता/कार्यस्थल मालिकों द्वारा इस संदर्भ में विशेष ध्यान दिया जाकर श्रमिकों को जागरूक/सावधान करने का प्रयास करना चाहिए कि कार्यस्थल पर प्रयुक्त/इस्तेमाल किये जाने वालें कपडों को कभी भी घर पहन कर नहीं जाना चाहिए बल्कि उनको कार्यस्थल पर ही छोड देना चाहिए।**	
9.	2,3,54–56, 59–60,69, 72,89,97	क्षेत्र कार्य के दौरान सिलिकोसिस प्रवृत्त कार्यस्थलों पर नियमानुसार चिकित्सा सुविधाओं के प्रति अनियमितता/उदासीनता जैसे श्रमिकों की चिकित्सा जाँच नहीं करवाया जाना, श्रमिकों को चिकित्सा परामर्श नहीं दिया जाना आदि अवगत हुआ। अधिकांश कार्यस्थलों पर श्रमिकों हेतु चिकित्सा कैम्पों/शिविरों के आयोजन में कमी भी विदित हुई। चिकित्सा विभाग से श्रमिकों के कफ/थूक की जाँच व एक्स–रे की रिपोर्ट निर्धारित अवधि के बाद विलम्ब से उपलब्ध होना बताया गया। जाँच रिपोर्ट विलम्ब से प्राप्त होने पर योजनान्तर्गत देय राशि के भी विलम्ब से प्राप्त होने की संभावनाऐं बनी रहती है।	

Scanned with OKEN Scanner

		सुझाव दिया जाता है कि सिलिकोसिस प्रवृत्त कार्यस्थलों पर समस्त श्रमिकों की नियमित रूप से स्वास्थ्य जाँच/परीक्षण कर स्वास्थ्य कार्ड/मेडिकल कार्ड बनाया जाना चाहिए जिसमें चिकित्सा संस्थानों/कार्यस्थलों में करवायी गयी स्वास्थ्य जाँच/परीक्षण संबंधी समस्त विवरण नियमित रूप से दर्ज हो। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कार्यस्थलों पर चिकित्सा कैम्प आयोजन से पूर्व ग्रामीण जनप्रतिनिधियों/युवाओं/ भामाशाहों/दानादाताओं से सम्पर्क किया जाना चाहिए ताकि वे चिकित्सा कैम्प/शिविर हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवा सके एवं कैम्पों में श्रमिकों को चिकित्सा लाभ लेने हेतु प्रोत्साहित भी कर सके। सिलिकोसिस रोग बाहुल्य क्षेत्रों में दो–तीन माह के अन्तराल पर जिला स्तरीय क्षय रोग चिकित्सक द्वारा चिकित्सा कैम्प/शिविर अनिवार्य रूप से आयोजित किया जाना चाहिए। ऐसे कैम्प अमावस्या के दिन लगाया जाना उचित होगा क्योंकि इस दिन अधिकांश श्रमिक अवकाश पर रहते है। चिकित्सा विभाग द्वारा श्रमिकों के कफ/थूक की जाँच व एक्स–रे की रिपोर्ट निर्धारित अवधि में ही उपलब्ध करवायी जानी चाहिए। केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न स्वास्थ्य योजनान्तर्गत सिलिकोसिस रोग से पीडित श्रमिक अथवा श्रमिक विधवा को विशेष पैकेज/सहायता अन्तर्गत अनुबंधित/पंजिकृत चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क ओपीडी एवं आइपीडी चिकित्सा सुविधाओं को उपलब्ध करवाया जाना समीचीन होगा। समय–समय पर सिलिकोसिस प्रमाणित रोगियों का जिला चिकित्सालय में मेडिकल बोर्ड द्वारा मेडिकल रिव्यू/पुनः एक्से–रे/पुनः जाँच की जानी चाहिए ताकि ऐसे श्रमिकों पर कार्यवाही की जा सके जिनमें सिलिकोसिस बीमारी के लक्षण नहीं है किन्तु उन्होंने अवैध तरीकों से सिलिकोसिस बीमारी का प्रमाण पत्र बनवा लिया। मेडिकल बोर्ड द्वारा समय–समय पर मेडिकल रिव्यू किये जाने से सिलिकोसिस पीडित श्रमिकों के स्वास्थ्य की स्थिति को भी नियमित रूप से मॉनिटर किया जा सकेगा।	
10.	11–14, 83,87–90	क्षेत्र कार्य के दौरान ज्ञात हुआ कि अनेक श्रमिकों को योजनान्तर्गत आवेदन प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी नहीं हो पाती है, इसी कारण से बिचौलियों/दलालों/ एजेन्ट से कार्य करवाने की उनकी मजबूरी हो जाती है। श्रमिकों को इस कार्य हेतु बिचौलियों/दलालों/ई–मित्र आदि को अतिरिक्त धनराशि का अनावश्यक व्यय करना पड़ जाता है, उन्हें जिला स्तरीय कार्यालयों/ई–मित्रों पर बार–बार चक्कर लगाने पड़ते है। योजनान्तर्गत ऑनलाईन आवेदनों के प्रमाणीकरण/लंबित आवेदनों के निस्तारण में भी विलम्ब लगना अवगत हुआ। **सुझाव दिया जाता है कि योजनान्तर्गत देय सहायता राशि प्राप्त करने के लिए कार्यकारी विभाग के जिला स्तरीय कार्यालयों में आवेदन भरने की कार्यवाही किये जाने अथवा क्षेत्र के किसी सुलभ स्थान पर श्रमिकों को फार्म भरने एवं संपूर्ण जानकारी दिये जाना समीचीन होगा।** जिला स्तरीय कार्यालयों/जिले के दृश्य सुलभ	

Scanned with OKEN Scanner

		स्थानों/मजदूर चौखटी (यथासंभव जहाँ श्रमिक मजदूरी कार्य हेतु एकत्रित होते है) पर योजनान्तर्गत लाभ प्राप्ति प्रक्रिया/चरण का प्रदर्शन भी किये जाने पर विचार किया जा सकता है। **योजनान्तर्गत ऑनलाईन आवेदनों के प्रमाणीकरण/लंबित आवेदनों का निस्ताण शीघ्रातीशीघ्र किया जाना चाहिए। सिलिकोसिस पोर्टल (पुराने एवं नये) से संबधित समस्याओं का शीघ्रातीशीघ्र समाधान/निवारण किया जाना चाहिए। योजनान्तर्गत मॉनिटरिंग की दृष्टि से कार्यकारी विभाग के जिला स्तरीय कार्यालयों द्वारा समय–समय पर ई–मित्र सेवा प्रदाताओं की कार्यविधि का भौतिक सत्यापन किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।**	
11.	3–6,50, 62–66, 78,90	क्षेत्र कार्य के दौरान अवगत हुआ कि सिलिकोसिस रोग से पीडित श्रमिकों की शारीरिक क्षमता धीरे–धीरे अत्यंत कमजोर हो जाती है। वे अन्य मेहनती कार्य करने में प्रायः असमर्थ रहते है। अधिकांशतः श्रमिक परिवार में कमाने/आय अर्जित करने वाले एकमात्र सदस्य भी वे ही होते है। योजनान्तर्गत प्राप्त सहायता राशि/पेंशन राशि उनके ईलाज, घरेलू खर्च, कर्ज/ऋण आदि में व्यय हो जाती है। अधिकांश मृतक श्रमिक परिवारों की आर्थिक स्थिति भी कमजोर अवलोकित हुई। **सुझाव दिया जाता है कि सिलिकोसिस पीडित श्रमिकों अथवा श्रमिक विधवाओं की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक आदि की कमजोर स्थति, वर्तमान मंहगाई व मंहगें ईलाज आदि को देखते हुए एवं योजनान्तर्गत उनको अधिक आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से श्रमिकों/मृतक श्रमिकों की विधवाओं को देय सहायता राशि/पेंशन राशि में पर्याप्त वृद्धि किये जाने पर विचार किया जाना समीचीन होगा। योजनान्तर्गत देय सहायता राशि को श्रमिकों/श्रमिक विधवाओं की कम/अधिक आयु के अनुसार (उदाहरणार्थ विधवा/वृद्धावस्था पेंशन योजना) दिये जाने पर विचार किया जा सकता है।**	
12.	3,7–14, 58,71,77, 91,94	क्षेत्र कार्य के दौरान सिलिकोसिस रोग की रोकथाम हेतु विभिन्न विभागों से संबंधित कानूनों/नियमों/अधिनियमों की पालना/मॉनिटरिंग में कमी विदित हुई। सभी प्रकार के सिलिकोसिस प्रवृत्त कार्यस्थलों को संबंधित नियमों यथा– **Factory Act, Mines Act, BOCW Act** के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से पंजीकृत किये जाने में कमी अवगत हुई। **सुझाव दिया जाता है कि सिलिकोसिस रोग की रोकथाम हेतु सुरक्षात्मक मापदंडों की पालना नहीं करने वाले नियोक्ताओं/कारखाना मालिकों/खान मालिकों/फैक्ट्री मालिकों के विरूद्ध श्रम कानून/औद्योगिक कानून/पर्यावरण संरक्षण कानून आदि के अन्तर्गत दण्डनीय कार्यवाही की जानी चाहिए। इसके लिए चिकित्सा विभाग, श्रम विभाग, खनन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, उद्योग विभाग आदि संबंधित विभागों द्वारा समन्वयात्मक रूप से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए। सभी प्रकार के**	

Scanned with OKEN Scanner

		सिलिकोसिस प्रवृत्त कार्यस्थलों को संबंधित नियमों यथा— Factory Act, Mines Act, BOCW Act के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाना चाहिए। राज्य एवं जिला स्तर पर सिलिकोसिस योजनान्तर्गत देय लाभ/प्रावधानों की विभिन्न विभाग स्तर यथा— श्रम विभाग, रोजगार विभाग, कारखाना एवं बायलर्स विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, उद्योग विभाग, खनन विभाग, स्थानीय प्रशासन आदि द्वारा संयुक्त/समन्वयात्मक रूप से प्रभावी निरीक्षण/मॉनीटरिंग किये जाने की आवश्यकता है। सिलिकोसिस प्रवृत्त कार्य स्थलों पर विभागीय अधिकारियों के निरीक्षण रजिस्टर का संधारण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये। राज्य में सिलिकोसिस रोग की रोकथाम हेतु सभी संबंधित विभागों द्वारा अवैध खनन के खिलाफ संयुक्त रूप से राज्यव्यापी अभियान चलाया जाना चाहिए। अभियान की निगरानी के लिए जिला स्तर पर संबंधित कलेक्टर की अध्यक्षता में स्पेशल टास्क फोर्स (एसआईटी) भी गठित की जा सकती है। **कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, कारखाना अधिनियम 1948 के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य में सिलिकोसिस रोग से पीडित श्रमिकों को सिलिकोसिस प्रवृत्त इकाईयों/कारखानों से हितलाभ क्षतिपूर्ति/सहायता राशि दिलवाये जाने के प्रयास किये जाने चाहिए। सिलिकोसिस पीडित श्रमिकों के हितार्थ की दृष्टि से पर्यावरण/श्रम अधिनियमों का उल्लघन नहीं हो पाये के संदर्भ में जिला स्तरीय श्रम विभाग, खनन विभाग, उद्योग विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग आदि द्वारा प्रत्येक माह में संयुक्त रूप से अभियान के माध्यम से नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।**	
13.	3,60,65, 69,91	क्षेत्र कार्य के दौरान विदित हुआ कि ऐसे श्रमिक जो सिलिकोसिस प्रवृत्त कार्य करते है साथ ही नशीले पदार्थों यथा— मद्यपान, धूम्रपान, गुटखे, तम्बाकु आदि का भी सेवन करते हैं को सिलिकोसिस रोग तेज गति से प्रभावित करता है। चिकित्सकों/विशेषज्ञों के मतानुसार सिलिकोसिस प्रवृत्त कार्य के साथ—साथ नशीले पदार्थों के सेवन से श्रमिकों की स्वास्थ्य/शारीरिक क्षमता में तेजी से गिरावट/कमजोरी आती है। **सुझाव दिया जाता है कि सिलिकोसिस प्रवृत्त कार्यस्थलों के समीप शराब/ मदिरा/पान मसाला/गुटखों की दुकानों को खोलने पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। कार्यकारी एवं अन्य संबंधित विभागों (विशेषकर चिकित्सा विभाग, खनन विभाग एवं श्रम विभाग) द्वारा श्रमिकों को सभी प्रकार के नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रहने के लिए उनको व्यापक रूप से जागरूक/शिक्षित किया जाना चाहिए।**	

Scanned with OKEN Scanner

14.	7–10, 92	क्षेत्र कार्य के दौरान विदित हुआ कि कुछ उपखण्डों एवं जिलों में उपखण्ड स्तरीय टास्क फोर्स, जिला स्तरीय सिलिकोसिस मॉनिटरिंग समिति द्वारा योजनान्तर्गत दिये गये दायित्वों का निर्वहन पूर्ण रूप से नहीं किया जा रहा है। उपखण्ड स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा सिलिकोसिस प्रवृत्त कार्यस्थलों पर किये गये निरीक्षण, कार्यवाही आदि से संबंधित मासिक रिपोर्ट जिला कलेक्टर कार्यालय में नियमित रूप से नहीं भेजी जानी विदित हुई। इन कारणों से उपखण्ड स्तर एवं जिला स्तर पर योजनान्तर्गत श्रमिकों देय लाभ/सुविधा, कार्यस्थलों पर सुरक्षा के साधनों के उपयोग एवं सिलिकोसिस नीति अन्तर्गत प्रावधानों की पालना/मॉनिटरिंग में भी अनियमितता अवलोकित हुई। **सुझाव दिया जाता है कि सिलिकोसिस प्रवृत्त कार्यस्थलों पर पत्थर कटाई/ घडाई/घिसाई से संबंधित उपकरणों की जाँच, क्षेत्र में सिलिकोसिस रोगियों हेतु मेडिकल कैम्पों के आयोजन, चिकित्सकीय जाँच की समीक्षा, नियोक्ताओं द्वारा कार्यस्थल पर श्रमिको के सिलिकोसिस रोग से बचाव हेतु किये गये प्रयास आदि से संबंधित निरीक्षण/मॉनिटरिंग कार्यवाही निर्धारित प्रावधानानुसार उपखण्ड स्तर पर गठित टास्क फोर्स एवं जिला स्तरीय सिलिकोसिस मॉनिटरिंग समिति द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए तथा संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा इसकी समीक्षा मासिक आधार पर अनिवार्य रूप की जानी उचित होगी एवं इनके बैठक कार्यवाही विवरण अन्तर्गत दिये गये निर्देशों की पालना यथाशीघ्र करवायी जानी चाहिए। टास्क फोर्स एवं जिला स्तरीय समितियों के बैठक कार्यवाही विवरण एवं अनुपालना रिपोर्ट को संबंधित जिलों/विभागों की वेबसाईट पर भी अपलोड किये जाने पर विचार किया जाना समीचीन होगा।**	
15.	3–7, 10,11, 70,92,93	योजनान्तर्गत सिलिकोसिस रोगियों को आर्थिक सहायता हेतु एसएमएफटी एवं डीएमएफटी फण्ड (District Mineral Foundation Trust) अंतर्गत विभिन्न प्रावधान किये गये है। इन फंड में पंजीकृत खदाने/इकाईयों द्वारा आर्थिक सहयोग किये जाने के प्रावधान किये गये है। क्षेत्र कार्य के दौरान विदित हुआ कि राज्य में कई खदाने/इकाईयाँ श्रम और रोजगार मंत्रालय/खनन विभाग/उद्योग विभाग आदि में पंजीकृत नहीं है। गैर-पंजीकृत इकाईयों के द्वारा एसएमएफटी/डीएमएफटी फण्ड में आर्थिक सहयोग नहीं किया जाना विदित हुआ। एसएमएफटी/डीएमएफटी फण्ड में धन की कमी से सिलिकोसिस पीड़ित श्रमिकों को आर्थिक सहयोग/सहायता प्रदान करने में समस्याऐं आना भी विदित हुई। **सुझाव दिया जाता है कि राज्य में सिलिकोसिस प्रवृत्त कार्यों में सलंग्न समस्त खदानों/इकाईयाँ को निर्धारित प्रावधानानुसार श्रम और रोजगार मंत्रालय/खनन विभाग/उद्योग विभाग आदि में पंजीकृत किया जाना चाहिए। गैर-पंजीकृत इकाईयों पर जुर्माना लगाया जाकर वसूल की गयी राशि से सिलिकोसिस पीड़ित श्रमिकों की आर्थिक सहायता किये जाने के प्रयास किये जाने चाहिए। एसएमएफटी एवं डीएमएफटी फण्ड अंतर्गत जमा राशि में से**	

Scanned with OKEN Scanner

		सिलिकोसिस रोगियों के उपचार हेतु ऑक्सीजन सिलेण्डर, आवश्यक दवाईयाँ, बचाव के आधुनिक उपकरणों आदि की व्यवस्था की जानी चाहिए। सीएसआर फण्ड से भी सिलिकोसिस रोगियों हेतु उपचारात्मक व्यवस्था किये जाने के प्रयास करने चाहिए।	
16.	53,54,65, 69,93	क्षेत्र कार्य के दौरान अनेक चयनित श्रमिक अपने निवास स्थान पर ऑक्सीजन सिलेण्डर का प्रयोग करते अवलोकित हुए। ऑक्सीजन सिलेण्डर पर प्रति माह उनके द्वारा काफी धन राशि का भुगतान किया जाना अवगत हुआ। ऑक्सीजन सिलेण्डर की उपलब्धता व रिफिल के संदर्भ में श्रमिकों एवं परिवार के सदस्यों द्वारा कई प्रकार की समस्याऐं आना अवगत करवायी गयी। **सुझाव दिया जाता है कि राजकीय चिकित्सा संस्थानों, जिला ड्रग वेयर हाउस आदि पर ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर बैंक स्थापित किया जाना चाहिए ताकि सिलिकोसिस रोग से पीडित व्यक्तियों को निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेण्डर उपलब्ध हो सके। चिकित्सक के परामर्श के आधार पर सिलिकोसिस रोगी के निवास पर ही उपचार किये जाने की स्थिति में ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर बैंक से कुछ अमानत राशि (पुनर्भरण योग्य राशि) जमा किये जाने पर ऑक्सीजन सिलेण्डर निःशुल्क भी दिया जा सकता है। स्थानीय भामाशाह/दानदाता/एनजीओ से भी ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर की व्यवस्था में आर्थिक मदद के लिए संपर्क किया जा सकता है। राजकीय अस्पताल अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य योजनान्तर्गत सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में सिलिकोसिस रोगियों को निःशुल्क आक्सीजन सिलेण्डर/उपकरण उपलब्ध करवाये जाने पर विचार किया जा सकता है।**	
17.	80,94,95	योजना के मूल्यांकन कार्य हेतु कार्यकारी विभाग एवं जिला स्तरीय विभागों से सिलिकोसिस योजना से संबंधित विभिन्न सूचनाऐं यथा– जिला मिनिरल फण्ड अन्तर्गत राशि की उपलब्धता/वितरण, जिलेवार खनन इकाईयों द्वारा जारी पट्टे, खनन इकाईयों की जाँच, वसूली गयी राशि, सिलिकोसिस योजनान्तर्गत पालनहार लाभान्वितों की संख्या/आवंटित राशि, उपखण्ड एवं जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा सिलिकोसिस प्रवृत्त इकाईयों की जाँच एवं वसूली गयी राशि का विवरण, सिलिकोसिस निवारण निधि अन्तर्गत प्राप्त अंशदान, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम अन्तर्गत श्रमिकों को उपलब्ध करवायी गयी क्षतिपूर्ति राशि, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सिलिकोसिस प्रवृत्त कार्यस्थलों पर की गयी जाँच, सीएसआर फण्ड अन्तर्गत श्रमिकों हेतु प्राप्त सहभागिता राशि आदि की सूचनाऐं उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण इनसे संबंधित विवरण प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं किये जा सके। **सुझाव दिया जाता है कि कार्यकारी विभाग, जिला स्तरीय विभाग एवं योजना से जुडे अन्य विभागों यथा– खनन विभाग, श्रम विभाग, उद्योग विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि द्वारा सिलिकोसिस योजना से संबंधित विभिन्न सूचनाओं का संधारण उचित रूप से (यथासंभव ऑनलाईन वेब पोर्टल पर) संधारित किया जाये जिससे**	

Scanned with OKEN Scanner

		योजना से संबंधित विभिन्न प्रकार की अद्यतन सूचनाऐं त्वरित प्राप्त हो सके। इससे योजनान्तर्गत पारदर्शिता भी प्रदर्शित हो सकेगी।	
18.	51,64,95	क्षेत्र कार्य के दौरान ज्ञात हुआ कि योजना से संबंधित अन्य विभाग जैसे चिकित्सा विभाग, श्रम विभाग, खनन विभाग आदि से श्रमिकों को यथासमय वांछित जानकारी एवं सहयोग प्राप्त करने में समस्याऐं आती हैं। **सुझाव दिया जाता है कि योजनान्तर्गत कार्यकारी विभाग के जिला स्तरीय कार्यालयों में हेल्प डेस्क की स्थापना की जाये ताकि श्रमिकों (विशेषकर निरक्षर एवं कम पढे लिखे श्रमिक) को योजनान्तर्गत पंजीकरण, दिशा–निर्देश, दस्तावेज, चिकित्सा सुविधा आदि से संबंधित वांछित जानकारी यथासमय प्राप्त हो सके।**	
19.	1,95,96	क्षेत्र कार्य/साक्षात्कार के दौरान ज्ञात हुआ कि विगत वर्षों से सिलिकोसिस रोगियों की संख्या में वृद्धि का एक कारण खनन क्षेत्रों में ब्लॉस्टींग पद्धति की तुलना में चाईना निर्मित विस्फोटक पदार्थों के प्रयोग करने का प्रचलन है। इसके माध्यम से कम समय में तोडे गये पहाडी/चट्टानों से प्रचूर मात्रा में पाउडर/रंज/धूल कण निकल कर वातावरण में फैल जाते है जो श्रमिकों के लिए सिलिकोसिस रोग से पीडित होने के कारक भी बनते हैं। **सुझाव दिया जाता है कि इस प्रक्रिया/पद्धति पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगाये जाने की आवश्यकता है। सिलिकोसिस प्रवृत्त कार्य के दौरान निकलने वाले वेस्ट/कचरे का निस्तारण कार्यस्थल से दूर किया जाना सुनिश्चित किया जाये। कार्यस्थलों से खनिज पाउडर को बोरों में भरने हेतु मानवीय श्रम की जगह ऑटोमेटिक प्रक्रिया का प्रयोग करवाने का प्रयास किया जाना चाहिए।**	

*****

Scanned with OKEN Scanner

Template for Prevention and control of Pnuemoconiosis (Silicosis)

S. N	Subject	Reference (Policy/Acts)	Action by	Achievement/Remarks
1.	Register all mines /industries and other establishments with dust hazards.	8.5.1 of Policy	DMG / CIF & B	
2.	Prohibit manufacture, use and procurement of tools and equipment without proper dust suppression system.	8.6.1 of Policy	Dept. of Industry	
3.	Employers to ensure all appropriate engineering dust control measures as per statute.	8.6.2 of Policy	Employers / CIF & B	
4.	Direction to formulate and implement appropriate and effective Personal Protective Equipments programme in mines/industries/ establishments.	8.6.3 of Policy	DGMS / DMG / CIF & B	
5.	Training of medical officers in Occupational Health & ILO Classification.	8.7.1 &8.7.2 of Policy	Medical Education Dept.	
6.	Workshop on Pneumoconiosis for stake holders.	8.7.3 of policy	DSAP & Health Dept.	
7.	Awareness Programmes for workers and public on Pneumoconiosis.	8.7.4 of Policy	DGMS / DMG / CIF & B/ Dept. of Industry	
8.	Setting up of model units for stone carving in selected districts	8.7.5 of Policy	Dept. of Industry/ Labour Dept.	
9.	Facilitation of registration of all workers in stone carving units by BOCW board other than factories	BOCW Act & Rules	Labour Dept.	

10.	Medical examination of all workers in mines and Industries with dust hazards.	Mines / Factory / BOCW, Acts.	DGMS / DMG / CIF & B	
11.	Enforcement of various Labour laws and availability of registers/records.	Mines / Factory / BOCW, Acts.	DGMS / DMG / CIF & B / Labour Dept.	
12.	Implementation and enforcement of welfare provisions.	Mines / Factory / BOCW, Acts.	DGMS / CIF & B	
13.	Incorporation of wet drilling in mining lease agreement.	MMDR Act	DMG	
14.	Mandatory registration of all industries and establishments with dust hazards before electricity connection.		Dept. of Industry / CIF & B	
15.	Penal action against mines / industries and establishments for violating rules and provisions of Policy.		DGMS / DMG / CIF & B	
16.	Exhibition of Act & Rules, IEC material at workplace relating of dust hazards.		DGMS / DMG / CIF & B	
17.	Coordination with various departments / NGOs /Labour unions / Employer Organizations.		DSAP	
18.	To develop mechanism for registration of persons employed in mines for the purpose of verification and disbursement of relief under the policy		DMG	

DMG : Department of Mines and Geology.

CIF & B : Chief Inspector of Factories and Boilers.

DGMS : Director General of Mines Safety.

DSAP : Directorate of Specially Abled Persons.

राजस्थान सरकार
निदेशालय विशेष योग्यजन
जी 3/1 ए, विशेष योग्यजन भवन, राजमहल होटल के पीछे, जयपुर

क्रमांक : एफ.8(11)(1)सिलिकोसिस/नि.वि.यो./2022/24630 जयपुर, दिनांक : 03/02/2026

बैठक कार्यवाही विवरण

राजस्थान न्यूमोकोनियोसिस (सिलिकोसिस) नीति, 2019 के क्रियान्वयन के प्रबोधन एवं इससे सम्बद्ध समुचित निर्णय लेने हेतु माननीय मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय न्यूमोकोनियोसिस (सिलिकोसिस) क्रियान्वयन समिति की पंचम बैठक दिनांक 28.01.2026 को अपराह्न 04:15 बजे समिति कक्ष–प्रथम, शासन सचिवालय, जयपुर में आयोजित की गयी। उक्त बैठक में परिशिष्ट–अ पर संलग्नानुसार समिति सदस्य/अधिकारीगण उपस्थित हुये।

सर्वप्रथम अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान द्वारा बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए न्यूमोकोनियोसिस नीति के विभिन्न प्रावधानों एवं अब तक की गई कार्यवाही पर प्रकाश डाला। आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, निदेशालय विशेष योग्यजन द्वारा नीति कियान्विति की प्रगति, पूर्व बैठक दिनांक 01.07.2022 की पालना रिपोर्ट एवं एजेण्डा बिन्दुओं का पी.पी.टी. के माध्यम से प्रस्तुतिकरण दिया गया तथा निम्नांकित एजेण्डा बिन्दुओं को समिति के अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया जिस पर समिति द्वारा लिया गया निर्णय निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	एजेण्डा विवरण	समिति निर्णय
1.	राज्य स्तरीय न्यूमोकोनियोसिस (सिलिकोसिस) क्रियान्वयन समिति की दिनांक 01.07.2022 को आयोजित चतुर्थ बैठक में प्रदत्त निर्देश/निर्णय की अनुपालना अनुमोदनार्थ समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी	उक्त अनुपालना रिपोर्ट पर समिति द्वारा अनुमोदन दिया गया।
2.	राजस्थान न्यूमोकोनियोसिस निवारण निधि में प्राप्त एवं व्यय राशि का विवरण प्रस्तुत किय गया।	समिति द्वारा प्रस्तुत विवरण का अनुमोदन किया गया।
3.	निदेशालय विशेष योग्यजन द्वारा केन्द्रीयकृत ऑनलाईन प्रकिया अन्तर्गत निधि से भुगतान की गयी सिलिकोसिस जीवित/मृत्यु सहायता राशि के भुगतान पर किये गये व्यय की रिपोर्ट।	समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।
4.	दौसा, करौली, जोधपुर, पाली एवं जैसलमेर में अनियमित रूप से प्रमाणित प्रकरणों की रिपोर्ट अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई।	उक्त रिपोर्ट का समिति सदस्यों द्वारा अवलोकन किया गया।
5.	नवीन प्रमाणित प्रकरणों में सिलिकोसिस जीवित/मृत्यु सहायता राशि का एकमुश्त भुगतान के स्थान पर मासिक किश्तों (प्रत्येक राशि रू. 10 हजार) में भुगतान किये जाने पर निर्णय।	उक्त बिन्दु पर समिति द्वारा असहमति प्रदान की गयी तथा नीति के वर्तमान प्रावधानानुसार ही सहायता राशि के वितरण हेतु निर्देशित किया गया।
6.	सिलिकोसिस सहायता भुगतान करने हेतु न्यूमोकोनियोसिस निवारण निधि में खान विभाग (DMFT)/श्रम विभाग (BOCW)/वित्त विभाग से सीधे आंशिक राशि प्राप्त की जा सकने पर चर्चा।	उक्त संबंध में सचिव, खान विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि डी.एम.एफ.टी. का फण्ड जिलेवार होने के कारण निधि में पूर्व भुगतान किया जाना संभव नही है। उक्त कम

Signature valid
Digitally signed by Iqbal Khan
Designation: Commissioner
Date: 2026.02.03 11:12:15 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20260033
eSign 1.0

		में वित्त विभाग से परीक्षण करवाने हेतु पत्रावली प्रेषित करने के निर्देश प्रदान किये गये।
7.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न जांच रिपोर्टस् एवं निदेशालय विशेष योग्यजन के स्तर पर किये गये रिव्यू के आधार पर पुनः चिकित्सा स्वास्थ्य जांच हेतु रिवर्ट किये गये ऐसे प्रकरणों में जिनमें प्रार्थी की मृत्यु हो जाने के कारण पुनः स्वास्थ्य जांच की जानी संभव नहीं है, ऐसे प्रकरणों में एकबारीय (one time) शिथिलता प्रदान करते हुये पूर्व में जारी सिलिकोसिस प्रमाण–पत्र को मान्य करते हुये समस्त न्यूमोकोनियोसिस (सिलिकोसिस) नीति अन्तर्गत देय सहायता स्वीकृत किये जाने पर चर्चा। **(संबंधित विभाग–निदेशालय विशेष योग्यजन)**	उक्त संबंध में निर्णय लेने हेतु पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गये।
8.	राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान, नागपुर (एन. आई.एम.एच) द्वारा जारी 72 सिलिकोसिस पीड़ितों की सूची के अनुसार तत्समय भुगतान की गयी सहायता राशि रू. 01 लाख वाले प्रकरणों में पीड़ित के नामित/विधिक उत्तराधिकारी द्वारा सिलिकोसिस पोर्टल पर प्रस्तुत मृत्यु सहायता आवेदन के कम में भुगतान पर निर्णय। **(संबंधित विभाग–निदेशालय विशेष योग्यजन)**	राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान, नागपुर (एन.आई.एम.एच.) द्वारा जारी 72 सिलिकोसिस पीड़ितों की सूची के अनुसार तत्समय भुगतान की गयी सहायता राशि रू. 01 लाख वाले प्रकरणों में पीड़ित के नामित/विधिक उत्तराधिकारी द्वारा सिलिकोसिस पोर्टल पर मृत्यु सहायता आवेदन प्रस्तुत करने पर नीति के वर्तमान प्रावधानों में शिथिलता प्रदान करते हुये अपवाद स्वरूप मृत्यु सहायता राशि रू. 4.10 लाख का भुगतान किया जावे।
9.	राज्य न्यूमोकोनियोसिस नीति के बिन्दु संख्या 6.2 के अनुसार अन्य राज्यों के प्रवासी मजदूरों जिन्होंने राज्य में कार्य किया है की सिलिकोसिस जांच एवं सहायता के संबंध में चर्चा।	अन्य राज्यों के प्रवासी मजदूरों का डेटा राज्य में संधारित नहीं हो पाने के कारण उक्त संबंध में निर्णय को डेफर किया गया।
10.	सिलिकोसिस रोग से अत्यधिक प्रभावित जिलों में जिला अस्पतालों/चिकित्सा महाविद्यालयो में सिलिकोसिस पीड़ितों के ईलाज के लिये विशेष सिलिकोसिस कोर्नर आरम्भ किये जाने पर चर्चा। **(संबंधित विभाग–चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग)**	उक्त कम में चिकित्सा विभाग को उचित कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये।
11.	सिलिकोसिस हेतु पोर्टल पर पंजीकरण एवं प्रमाणीकरण से पूर्व ही पीड़ित की मृत्यु हो जाने की स्थिति में राजकीय चिकित्सा अस्पतालों के मेडिकल रिकोर्ड के आधार पर जिला न्यूमोकोनियोसिस बोर्ड द्वारा सिलिकोसिस प्रमाण–पत्र जारी करने एवं नीति अन्तर्गत लाभान्वित किये जाने पर चर्चा।	उक्त संबंध में निर्णय लेने हेतु पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये गये।
12.	Employee Compensation Act 1923 के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित किये जाने पर चर्चा। **(संबंधित विभाग–श्रम विभाग)**	Employee Compensation Act 1923 के प्रावधानों की अनुपालना के संबंध आवश्यक कार्यवाही श्रम विभाग द्वारा की जावे।

Signature valid
Digitally signed by Iqbal Khan
Designation : Commissioner
Date: 2026.02.03 17:12:15 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
20260033
eSign 1.0

न्यूमोकोनियोसिस नीति की कियान्विति से संबंधित मुद्दों यथा सिलिकोसिस प्रमाणीकरण, पुनर्वास, रोग के रोकथाम इत्यादि तथा बैठक ऐजेण्डे पर समिति सदस्यों के साथ की गई चर्चा के दौरान मुख्य सचिव महोदय द्वारा निम्नांकित निर्देश प्रदान किये गयेः—

1. सिलिकोसिस रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु वर्तमान में लागू कानून/नियमों का सख्ती से पालन संबंधित विभागों यथा खान विभाग, श्रम विभाग, उद्योग विभाग, पर्यावरण विभाग इत्यादि द्वारा कराया जावे तथा रोग का प्रसार करने वाले नियोक्ताओं के विरूद्ध नियामकीय कार्यवाही अमल मे लाई जावे। **(संबंधित विभाग—खान विभाग, श्रम विभाग, उद्योग विभाग, पर्यावरण विभाग इत्यादि)**
2. सिलिकोसिस रोग की रोकथाम हेतु प्रचार—प्रसार एवं जागरूकता कार्यक्रमों (IEC) का संचालन संबंधित विभाग द्वारा किया जावे। **(संबंधित विभाग—खान विभाग, श्रम विभाग, उद्योग विभाग, पर्यावरण विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इत्यादि)**
3. खान विभाग द्वारा खनन क्षेत्र/साइट पर सिलिकोसिस रोग हेतु अपनाये जा रहे सुरक्षा मापदण्डों का निरीक्षण किया जावे एवं सुरक्षा मापदण्ड अपनाने हेतु निर्देशित किया जावे। **(संबंधित विभाग—खान विभाग)**
4. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर सिलिकोसिस प्रमाणीकरण हेतु लंबित आवेदनों का यथाशीघ्र निस्तारण किया जावे। **(संबंधित विभाग—चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग)**
5. सिलिकोसिस संभावित कार्यस्थलों पर कार्य करने वाले श्रमिकों का अधिकाधिक पंजीकरण करने हेतु निर्देशित किया गया। **(संबंधित विभाग—खान विभाग, श्रम विभाग, उद्योग विभाग)**

तदुपरान्त बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(इकबाल खान)
आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव

कमांक : एफ.8(11)(1)सिलिकोसिस/नि.वि.यो./2022/ 24631-48 **जयपुर, दिनांक :** 03/02/26

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सा.न्या.अ.वि., राजस्थान सरकार।
3. उप सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार।
7. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झालाना डूँगरी, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खान विभाग, राजस्थान सरकार।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार।
11. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम विभाग, राजस्थान सरकार।
12. निजी सहायक, आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, निदेशालय विशेष योग्यजन राजस्थान, जयपुर।
13. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक—II, निदेशालय विशेष योग्यजन राजस्थान, जयपुर।
14. संयुक्त निदेशक, निदेशालय विशेष योग्यजन राजस्थान, जयपुर।
15. सलाहकार (सिलिकोसिस विशेषज्ञ), निदेशालय विशेष योग्यजन राजस्थान, जयपुर।
16. ऐनेलिस्ट कम प्रोग्रामर, निदेशालय विशेष योग्यजन राजस्थान, जयपुर।
17. सिलिकोसिस पोर्टल डवलपर्स।
18. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव

RajKaj Ref No.:
20260033
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Iqbal Khan
Designation : Commissioner
Date: 2026.02.03 17:12:15 IST
Reason: Approved

<u>परिशिष्ट–अ</u>

राजस्थान न्यूमोकोनियोसिस (सिलिकोसिस) नीति, 2019 के क्रियान्वयन के प्रबोधन एवं इससे सम्बद्ध समुचित निर्णय लेने हेतु माननीय मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय न्यूमोकोनियोसिस (सिलिकोसिस) क्रियान्वयन समिति की दिनांक 28.01.2026 को आयोजित बैठक में उपस्थित समिति सदस्यों/अधिकारीगणों का विवरण निम्नानुसार हैः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार।
3. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झालाना डूँगरी, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार।
5. प्रमुख शासन सचिव, खान विभाग, राजस्थान सरकार।
6. शासन सचिव, श्रम विभाग, राजस्थान सरकार।
7. शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, राजस्थान सरकार।
8. आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, निदेशालय विशेष योग्यजन राजस्थान।
9. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार।
10. अतिरिक्त निदेशक–II, निदेशालय विशेष योग्यजन राजस्थान, जयपुर।
11. संयुक्त निदेशक, निदेशालय विशेष योग्यजन राजस्थान, जयपुर।
12. सलाहकार (सिलिकोसिस विशेषज्ञ), निदेशालय विशेष योग्यजन राजस्थान, जयपुर।
13. ऐनेलिस्ट कम प्रोग्रामर, निदेशालय विशेष योग्यजन राजस्थान, जयपुर।

RajKaj Ref No.:
20260033
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Iqbal Khan
Designation: Commissioner
Date: 2026.02.03 11:12:15 IST
Reason: Approved

परिशिष्ट–अ

राजस्थान न्यूमोकोनियोसिस (सिलिकोसिस) नीति, 2019 के क्रियान्वयन के प्रबोधन एवं इससे सम्बद्ध समुचित निर्णय लेने हेतु माननीय मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय न्यूमोकोनियोसिस (सिलिकोसिस) क्रियान्वयन समिति की दिनांक 28.01.2026 को आयोजित बैठक में उपस्थित समिति सदस्यों / अधिकारीगणों का विवरण निम्नानुसार है:–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार।
3. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झालाना डूँगरी, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार।
5. प्रमुख शासन सचिव, खान विभाग, राजस्थान सरकार।
6. शासन सचिव, श्रम विभाग, राजस्थान सरकार।
7. शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, राजस्थान सरकार।
8. आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, निदेशालय विशेष योग्यजन राजस्थान।
9. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार।
10. अतिरिक्त निदेशक–II, निदेशालय विशेष योग्यजन राजस्थान, जयपुर।
11. संयुक्त निदेशक, निदेशालय विशेष योग्यजन राजस्थान, जयपुर।
12. सलाहकार (सिलिकोसिस विशेषज्ञ), निदेशालय विशेष योग्यजन राजस्थान, जयपुर।
13. ऐनेलिस्ट कम प्रोग्रामर, निदेशालय विशेष योग्यजन राजस्थान, जयपुर।

RajKaj Ref No.:
20260033
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Iqbal Khan
Designation.: Commissioner
Date: 2026.02.03 11:12:15 IST
Reason: Approved

Annexure-8

राजस्थान सरकार
निदेशालय विशेष योग्यजन
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1ए, राजमहल होटल के पीछे, जयपुर

क्रमांक : एफ. 8 ( )सिलिकोसिस/नि.वि.यो./2020/8412 दिनांक : 25-8-2021

Rajasthan Pneumoconiosis Eradication Fund Guidelines

राजस्थान न्यूमोकोनियोसिस निवारण निधि संबंधी दिशा–निर्देश

राजस्थान का 0.50 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र खनन के अन्तर्गत सम्मिलित है। यहां 33,000 से अधिक खदानें है। खनन एवं खनिज उद्योग राज्य में 30 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देता है। इसके अतिरिक्त भवन एवं अन्य निर्माण उद्योगों से लगभग 24 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। ऐसी खदानें मुख्यतः असंगठित क्षेत्र एवं लघु उद्योग क्षेत्रों में संचालित है।

उक्त खनन एवं खनन से जुड़ी हुई क्रियाओं के अन्तर्गत कार्यरत श्रमिकों के खनन, पत्थर घड़ाई, पत्थर तोड़ने, पत्थर पीसकर पाउडर बनाने, गिट्टी बनाने, सैंड स्टोन से मूर्ति बनाने जैसे काम करते हुये लगातार धूल के सम्पर्क में रहने के कारण न्यूमोकोनियोसिस नामक बीमारी हो जाती है। यह ऐसे श्रमिकों के फेफडों में धूल जमने के कारण होती है। लगातार धूल फेफडों में गांठे बना देती है, जिससे श्वास लेने में कठिनाई होने लगती है और कुछ वर्षों बाद फेफडें काम करना बंद कर देते है।

राज्य के मुख्यतः जोधपुर, सिरोही, बूंदी, भरतपुर, दौसा, करौली, नागौर एवं भीलवाड़ा जिले बीमारी से अधिक प्रभावित है। अतः सिलिकॉसिस पीड़ितों के दुःख एवं उनके परिवार पर पड़ने वाले आर्थिक भार की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये **राजस्थान न्यूमोकोनियोसिस निवारण निधि (Rajasthan Pneumoconiosis Eradication Fund)** की स्थापना एतद् द्वारा की जाती है।

राजस्थान न्यूमोकोनियोसिस निवारण निधि (RPEF) के संचालन के लिए निम्नलिखित दिशा–निर्देश होगें :–

1 **नाम** :– यह राजस्थान न्यूमोकोनियोसिस निवारण निधि संबंधी दिशा–निर्देश 2021 कहलाएगें।

2. **प्रभावशीलता** :– ये दिशा–निर्देश वित्तीय वर्ष 2021–22 से प्रभावशील होगें।

3. **परिभाषाएं** :–

(1) ''निधि'' से तात्पर्य सिलिकॉसिस निवारण निधि 2021 है।

(2) ''राजस्थान सरकार'' से आशय राजस्थान सरकार है।

(3) ''स्थानीय निकायों'' से आशय जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण राज्य के नगर सुधार न्यास, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाओं, जिला परिषदों, पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों से है।

(4) ''नोडल विभाग'' से तात्पर्य निदेशालय विशेष योग्यजन विभाग है।

(5) ''कार्यकारी अभिकरण'' से आशय उन राजकीय विभागों, राजकीय उपक्रमों, संस्थाओं, गैर–सरकारी संस्थाओं, इत्यादि से है, जिनके माध्यम से इस निधि का उपयोग करते हुये योजनाएं क्रियान्वित की जायेगी।

(6) ''वित्तीय वर्ष'' का आशय एक 01 अप्रेल से प्रारम्भ होकर 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि से है।

(7) ''वित्त विभाग'' का आशय राजस्थान सरकार के वित्त विभाग से है।

(8) ''बजट निर्णायक समिति'' (BFC) से आशय उस समिति से है, जो बजट प्रस्तावों का परीक्षण करके उनका अनुमोदन करती है।

(9) ''व्यक्तिगत निक्षेप खाते'' से आशय राजकीय उपक्रम अथवा अन्य संस्थाओं के राज्य के कोष कार्यालयों में खोले गये ऐसे खातों से है, जिनमें सामान्यतः राज्य सरकार द्वारा राशि हस्तान्तरित की जाती है।

4. **निधि के गठन के उद्देश्य** :–

(1) न्यूमोकोनियोसिस पीड़ित श्रमिकों की पहचान, प्रमाणीकरण एवं उपचार की बेहतर व्यवस्था करना,

(2) न्यूमोकोनियोसिस पीड़ितों के लिए तत्काल राहत एवं पुनर्वास की व्यवस्था करना,

(3) बीमारी की रोकथाम एवं नियंत्रण के उपाय अपनाना,

(4) बीमारी के प्रति जागरूकता प्रदान करना,

2 .

(5) न्यूमोकोनियोसिस प्रधानता वाले जिलों के चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं जिला चिकित्सालयों में इस बीमारी की पहचान एवं उपचार सुविधाओं का उन्नयन (Upgradation) करना,

(6) न्यूमोकोनियोसिस प्रधानता वाले क्षेत्रों से सटे उद्योगों, खदानों, फैक्ट्रियों एवं अन्य औद्योगिक अथवा व्यवसायिक संस्थाओं की पहचान करना,

(7) विभिन्न हितधारकों यथा चिकित्सकों, राजकीय कार्मिकों, कर्मचारियों, श्रमिकों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों एवं जनसाधारण को इस बीमारी के बारे में विस्तृत जानकारी एवं प्रशिक्षण देना,

(8) राज्य में न्यूमोकोनियोसिस की पहचान, रोकथाम, नियंत्रण, उन्मूलन एवं अनुसंधान के लिए राज्यव्यापी समग्र कार्यक्रम का क्रियान्वयन एवं इससे संबंधित विभिन्न गतिविधियां संचालित करना।

5. **निधि के आय के स्त्रोत** :–

(1) खनन विभाग (DMFT/SMFT) द्वारा राशि का अंशदान,

(2) श्रम विभाग द्वारा राशि का अंशदान,

(3) राज्य सरकार की संचित निधि से अंशदान के रूप में उपलब्ध करवाई जाने वाली राशि।

(4) निधि के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु केन्द्र अथवा अन्य सरकारों एवं गैर–सरकारी संगठनों से प्राप्त राशि

(5) औद्योगिक संस्थाओं से सामाजिक उत्तरदायित्व के अन्तर्गत प्राप्त राशि तथा भामाशाहों द्वारा उपलब्ध करवाई गई राशि (Crowd Funding)

(6) अन्य स्त्रोत जिन्हें समय–समय पर विशिष्ट रूप से निर्धारित किया जाये।

6. **नोडल विभाग** :–निधि के प्रबन्धन एवं संचालन के लिए निदेशालय विशेष योग्यजन विभाग उत्तरदायी होगा। आयुक्त/निदेशक विशेष योग्यजन विभाग, इस उद्देश्य के लिए नोडल अधिकारी होगें।

7. **कार्यकारी अभिकरण** :–

राज्य सरकार के विभाग/राजकीय उपक्रम/संस्था

8. निधि का गठन एवं संचालन :–

(1) प्रारम्भिक तौर पर राज्य न्यूमोकोनियोसिस निवारण निधि के गठन हेतु वित्त विभाग द्वारा रू.100 करोड़ तथा श्रम विभाग द्वारा रू. 100 करोड़ का अंशदान दिया जायेगा।

(2) न्यूमोकोनियोसिस निवारण निधि के संचालन हेतु एक पी.डी. खाता खोला जायेगा। वित्त विभाग प्रत्येक वर्ष के आरम्भ में श्रम एवं राज्य संचित निधि से निर्धारित अनुपातिक राशि विशेष योग्यजन के न्यूमोकोनियोसिस निवारण निधि के पी.डी. खाते में हस्तान्तरित करेगा।

(3) अग्रिम राशि दिये जाने की व्यवस्था नहीं होने के कारण खान विभाग द्वारा न्यूमोकोनियोसिस निवारण निधि के पी.डी. खाते में अग्रिम राशि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी, बल्कि विशेष योग्यजन निदेशालय द्वारा किए गये वास्तविक भुगतान के आधार पर इस राशि का पुनर्भरण किया जायेगा। इस राशि का पुनर्भरण सम्बन्धित जिला कलक्टर द्वारा डी.एम.एफ.टी. खाते से e-gras के माध्यम से विभाग के पी.डी. खाते में किया जायेगा।

(4) ऐसे प्रकरण जिनमें प्रमाणीकरण के पश्चात् स्वीकृति एवं भुगतान का कार्य जिला स्तर पर लंबित है, ऐसे प्रकरणों में निदेशालय विशेष योग्यजन के स्तर से ऑनलाइन स्वीकृति जारी की जाकर पी0डी0 खाते से IFMS प्रक्रिया के माध्यम से कोषालय को बिल प्रेषित कर पी.डी. खाते से सहायता राशि सीधे ही प्रमाणीकृत सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति के खाते में तथा उसकी मृत्यु के उपरान्त उसके विधिक उत्तराधिकारी/नामित के बैंक खाते में डी.बी.टी. की जायेगी। ऐसे प्रकरणों में दोहरा भुगतान रोकने के लिए संबंधित जिला कलक्टर को सूची प्रेषित कर पूर्व में भुगतान न होने के संबंध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र (N.O.C.) दिये जाने पर ही निदेशालय से भुगतान किया जायेगा।

(5) सिलिकोसिस पोर्टल में समस्त आवश्यक परिवर्तन उपरान्त पीड़ित को न्यूमोकोनियोसिस के प्रमाणीकरण के आधार पर सर्वर सर्टिफिकेशन से ऑनलाईन ऑटो स्वीकृति जारी होगी। ऑनलाइन ऑटो स्वीकृति के पश्चात् विशेष योग्यजन निदेशालय के स्तर पर IFMS प्रक्रिया के माध्यम से पी.डी. खाते से सहायता राशि सीधे ही प्रमाणीकृत सिलिकोसिस पीड़ित व्यक्ति के खाते में तथा उसकी मृत्यु के उपरान्त उसके विधिक उत्तराधिकारी/नामित के बैंक खाते में डी.बी.टी. की जायेगी।

(6) बिन्दु संख्या– 4 व बिन्दु संख्या– 5 दोनों प्रकार के प्रकरणों में अधिकृत चिकित्सा अधिकारी के द्वारा ऑनलाईन प्रमाणीकरण के आधार पर स्वीकृति (Auto Approval) व भुगतान की कार्यवाही की जायेगी, इस हेतु अन्य जांच/सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी।

(7) निदेशालय विशेष योग्यजन द्वारा अधिकृत अधिकारी सिलिकोसिस रोग से प्रमाणीकृत अथवा मृत्यु संबंधी प्रकरणों में सहायता राशि की स्वीकृति एवं भुगतान करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी होंगे।

(8) सिलिकोसिस प्रमाणीकरण की प्रक्रिया का निर्धारण एवं प्रमाणीकरण की व्यवस्था चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा तय की जा चुकी है। सिलिकोसिस प्रमाणीकरण के उपरान्त सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र के आधार पर एवं इसी प्रकार सिलिकोसिस पीड़ित की मृत्यु उपरान्त मृत्यु प्रमाण–पत्र के आधार पर सर्वर सर्टिफिकेशन से ऑनलाईन स्वीकृति जारी होने पर निदेशालय से अधिकृत अधिकारी द्वारा संबंधित को भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(9) न्यूमोकोनियोसिस निवारण निधि के **पी.डी. खाते** से भुगतान के पश्चात संबंधित जिला कलक्टर द्वारा एक माह की अवधि में समस्त भुगतान प्रकरणों का अंकमिलान (Reconciliation) किया जायेगा। जिसमें श्रम विभाग के समस्त प्रकरणों का अंकमिलान (Reconciliation) राज्य निधि में श्रम विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि से किया जायेगा।

(10) उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा समाज कल्याण अधिकारी (जिला अधिकारी) सा0न्या0अ0वि0 द्वारा अंकमिलान हेतु जिला कलक्टर के स्तर से कार्यवाही के लिए नोडल अधिकारी होगा।

(11) जो प्रकरण BOCW फण्ड (श्रम विभाग) के अन्तर्गत कवर नहीं होते है, उन सभी प्रकरणों यथा खनन, खान से पत्थर निकालना, पत्थर घड़ाई, पत्थर तोड़ने, पत्थर पीसकर पॉउडर बनाने, गिट्टी बनाने, मूर्ति बनाने एवं अन्य पत्थर उत्पादों के निर्माण कार्यों इत्यादि को खनन एवं खनन जनित कार्य मानते हुए उन पर किये गये भुगतान

का अंकमिलान (Reconciliation) कर जिला कलक्टर द्वारा DMFT(SMFT से प्राप्त राशि सहित फण्ड) में उपलब्ध राशि से पुनर्भरण किया जायेगा। अपवाद स्वरूप विशेष परिस्थिति वाले प्रकरणों में ही राज्य की संचित निधि से सिलिकोसिस फण्ड मे उपलब्ध राशि के विरूद्ध भुगतान किया जायेगा। इस संबंध में जिला कलक्टर का निर्णय अन्तिम होगा। राज्य की संचित निधि के पेटे उपलब्ध कराई गई राशि के विरूद्ध अंकमिलान किये गये प्रकरणों में जिला कलक्टर द्वारा एक सप्ताह में कारणों से राज्य स्तर पर नोडल विभाग को अवगत करवाया जायेगा।

निधि के संचालन हेतु दो समितियों का गठन किया जाता है :–

(A)स्टियरिंग समिति (Steering Committee) :–राजस्थान न्यूमोकोनियोसिस (सिलिकोसिस) नीति 2019 के तहत मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में गठित स्टियरिंग समिति (Steering Committee) ही राजस्थान न्यूमोकोनियोसिस निवारण निधि की स्टियरिंग समिति होगी।

उपर्युक्त समिति के कार्य बिन्दु निम्नानुसार होगें :–

(1) न्यूमोकोनियोसिस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बजट एवं अन्य विभिन्न बिन्दुओं पर निर्णय लेकर संबंधित विभागों को निर्देशित करना।

(2) न्यूमोकोनियोसिस नीति के अन्तर्गत समावेशित बिन्दुओं के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन की समीक्षा करना।

(3) समस्त हितधारकों के मध्य प्रभावी समन्वय स्थापित करना।

(4) न्यूमोकोनियोसिस नीति के क्रियान्वयन में आने वाली समस्या के क्रम में आवश्यक नीतिगत/विधि मान्य उपाय प्रस्तावित करना।

(5) समिति विभागीय अधिकारियों/विषय विशेषज्ञों को भी आवश्यकतानुसार चर्चा हेतु आमंत्रित कर सकेगी।

(B) क्रियान्वयन समिति (Executive Committee) :–

(1) अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	–अध्यक्ष
(2) आयुक्त/निदेशक निदेशालय विशेष योग्यजन विभाग	–सदस्य सचिव
(3) निम्नांकित विभागों के प्रतिनिधि,	–सदस्य

जो संयुक्त शासन सचिव से अनिम्न स्तर के हो :–

वित्त विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, श्रम विभाग, खान एवं पैट्रोलियम विभाग, पर्यावरण विभाग, उद्योग विभाग।

निधि क्रियान्वयन समिति द्वारा उन योजनाओं के लिए निधि के उपयोग की स्वीकृति दी जा सकेगी, जो स्टियरिंग समिति (Steering Committee) द्वारा अथवा सक्षम स्तर से स्वीकृत है। इस समिति द्वारा इस प्रकार दी गई स्वीकृतियों का अवलोकन स्टियरिंग समिति को करवाया जायेगा।

9. **निधि का उपयोग** :–

(अ) निधि की धनराशि को निम्नांकित मदों पर व्यय किया जा सकेगा –

(1) न्यूमोकोनियोसिस पीड़ितों के तत्काल राहत एवं पुनर्वास संबंधी व्यय।

(2) न्यूमोकोनियोसिस पीड़ित श्रमिकों की पहचान प्रमाणीकरण एवं उपचार की बेहतर व्यवस्था संबंधी कार्य–इन कार्यों में न्यूमोकोनियोसिस पीड़ितो की पहचान हेतु आवश्यक टैस्टिंग उपकरणों का क्रय एवं आवश्यकता होने पर इन श्रमिकों के प्रतिदिन परीक्षण हेतु नियोजित किये जाने वाले विशेषज्ञों की सेवाओं संबंधी व्यय भी सम्मिलित है।

(3) न्यूमोकोनियोसिस प्रधानता वाले जिलो के चयनित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं जिला चिकित्सालयों में पृथक न्यूमोकोनियोसिस वार्डों की स्थापना एवं इनके लिए आवश्यक उपकरण एवं आवश्यकता होने पर विषय विशेषज्ञों की सेवा संबंधी व्यय।

(4) न्यूमोकोनियोसिस प्रधानता वाले क्षेत्रों से सटे उद्योगों, खदानों, फेक्ट्रियों एवं अन्य औद्योगिक अथवा व्यवसायिक संस्थानों की पहचान संबंधी कार्य।

(5) राज्य में न्यूमोकोनियोसिस की पहचान, रोकथाम, नियंत्रण, उन्मूलन एवं अनुसंधान के लिए किये गये कार्यों में।

(6) विभिन्न हितधारकों यथा चिकित्सकों, राजकीय अधिकारियों, कर्मचारियों, श्रमिको, जन प्रतिनिधियों एवं जन साधारण को इस बारे में विस्तृत जानकारी एवं प्रशिक्षण–इस प्रकार की जानकारी एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निधि कोष की प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत तक राशि व्यय की जा सकेगी।

(7) न्यूमोकोनियोसिस नीति के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों के समुचित पर्यवेक्षण, प्रबोधन एवं मूल्यांकन हेतु अधिकतम 3 प्रतिशत तक राशि व्यय की जा सकेगी।

(8) उक्त सभी कार्यो हेतु आवश्यक आई.टी. (IT) परियोजनाओं पर।

(ब) निधि की धनराशि से निम्नांकित मदों पर व्यय पूर्णतः वर्जित होगा–

(1) चयनित अस्पतालों में न्यूमोकोनियोसिस वार्डो के अतिरिक्त अन्य सामान्य मरम्मत एवं संधारण पर व्यय।

(2) सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भत्तों पर व्यय।

(3) नोडल विभाग एवं संबंधित राजकीय विभागों में संस्थापन संबंधी नियमित व्यय।

10. **निधि के उपयोग की प्रक्रिया** :–

(1) न्यूमोकोनियोसिस पीड़ितों को राहत, सहायता तथा पुनर्वास संबंधी व पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किये जायेंगे।

(2) राजकीय विभाग/अथवा कार्यकारी अभिकरण (Implemention Agencies) द्वारा योजना के तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव तैयार किये जायेगें।

(3) कार्यकारी अभिकरण अपने प्रस्ताव निदेशालय विशेष योग्यजन के माध्यम से कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगें।

(4) क्रियान्वयन समिति द्वारा स्टियरिंग समिति (Steering Committee) का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा, तत्पश्चात् आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। जिन कार्यों/योजनाओं के प्रस्तावों पर वित्त विभाग का अनुमोदन आवश्यक है, उन्हे प्राप्त किया जायेगा।

(5) नोडल विभाग (निदेशालय विशेष योग्यजन) निधि में प्राप्ति के आधार पर उपयुक्त राशि एवं उपर्युक्त बजट प्रावधान हेतु BFC (Budget Finalising Committee)/ वित्त विभाग के समक्ष मांग प्रस्तुत करेगें।

(6) नोडल विभाग द्वारा निधि के अन्तर्गत अन्य कार्यकारी अभिकरणों के माध्यम से कार्य करवाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी। राशि व्यय होने के उपरान्त कार्यकारी अभिकरणों द्वारा निदेशालय विशेष योग्यजन को उपयोगिता प्रमाण–पत्र (U.C.) उपलब्ध करवाये जायेगें।

(7) कार्यकारी अभिकरण तथा राजकीय विभाग के कार्यो/योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से निधि के नोडल विभाग को मासिक आधार पर अवगत करायेगें।

(8) क्रियान्वयन समिति एवं स्टियरिंग समिति निधि के तहत कार्यों/योजनाओं/प्रोजेक्ट की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की नियमित समीक्षा करेंगी तथा यह सुनिश्चित करेंगी कि कार्य/योजना स्वीकृति के अनुसार एवं निर्धारित समय में पूर्ण हों।

(9) कार्य पूर्ण होने के एक माह में कार्यकारी अभिकरण/राजकीय विभाग द्वारा कार्य पूर्णता रिपोर्ट तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र नोडल विभाग को प्रस्तुत किये जायेगें।

(10) निधि की राशि से बनी परिसम्पत्तियों पर कार्यकारी अभिकरण या राजकीय विभाग का स्वामित्व होगा। इन सम्पत्तियों का संधारण विभागीय/संस्थाओं के नियमित बजट से किया जायेगा।

11. **निधि के उपयोग की प्रक्रिया**:–क्रियान्वयन समिति/स्टियरिंग समिति (Steering Committee) द्वारा अनुमोदित व्यय हेतु निधि में उपलब्ध धन राशि को निदेशालय विशेष योग्यजन के द्वारा व्यय किया जायेगा। निधि की प्राप्तियों एवं निधि के व्यय से सम्बन्धित विवरण–पत्र तथा अपेक्षित रजिस्टर संधारित करने का दायित्व नोडल विभाग का होगा।

12. **अंकेक्षण**:–निधि से प्राप्तियों एवं व्यय के नोडल विभाग द्वारा संधारित लेखों का अंकेक्षण महालेखाकार राजस्थान तथा निदेशक निरीक्षण विभाग द्वारा किया जायेगा। निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति निधि की संचालन समिति एवं वित्त (व्यय) विभाग को भी प्रस्तुत की जायेगी।

उक्त दिशा–निर्देश वित्त विभाग से प्राप्त सहमति की आई.डी. संख्या 102103798 दिनांक 12-08-2021 के अनुसरण में जारी किये जा रहे है।

आज्ञा से

(डॉ. समित शर्मा)
शासन सचिव,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
विभाग

क्रमांक : एफ 8( )सिलिकोसिस / नि.वि.यो. / 2020 / 8413-97   जयपुर, दिनांक 25-8-2021

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पैट्रोलियम विभाग, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान सरकार।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम विभाग, राजस्थान सरकार।
9. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार।
11. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, निदेशालय विशेष योग्यजन, राजस्थान।
12. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, वित्त(व्यय–2) विभाग, राजस्थान।
13. निजी सचिव, आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. निजी सचिव, आयुक्त, श्रम विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15. निजी सचिव, निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
16. निजी सचिव, निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
17. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
18. समस्त जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
19. अतिरिक्त निदेशक, राजकोम्प इन्फोसर्विसेज लि., राजस्थान जयपुर।
20. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त एवं शासन सचिव
(निदेशालय विशेष योग्यजन)